

पुलिस आदेश संख्या.....03...../2017

विषय :- सीधे नियुक्त पुलिस अवर निरीक्षकों के अधिष्ठापन प्रशिक्षण हेतु पुनरीक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में -:

पुलिस अवर निरीक्षकों के अधिष्ठापन प्रशिक्षण(Basic Training) हेतु पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के दिन्दु पर पुलिस मुख्यालय, बिहार के स्तर से पूर्व में पुलिस आदेश सं0-269/99, 296/2010 एवं अन्य सुसंगत आदेश/निदेश निर्गत हैं। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद बी0पी0आर0एण्ड डी0 के दिशा-निर्देशों एवं अन्य राज्यों में प्रभावी पाठ्यक्रमों के अध्ययनोपरान्त बिहार बी0पी0आर0एण्ड डी0 के दिशा-निर्देशों एवं अन्य राज्यों में प्रभावी पाठ्यक्रमों के अध्ययनोपरान्त बिहार पुलिस अकादमी द्वारा पुलिस को अद्यतन, सुसंगत, समसामयिक एवं सक्षम बनाने के उद्देश्य से कठिपय अनुशंसाएँ की गई हैं।

तदनुसार पुलिस आदेश सं0-269/99 एवं 269/2010 को विलोपित करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम, कालांश एवं पूर्णांक निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है-

1. अवर निरीक्षकों के अधिष्ठापन प्रशिक्षण के सम्पूर्ण कार्यक्रम की अवधि निम्नवत निर्धारित की जाती है--

क्र.	विवरण	अवधि
1	प्रशिक्षण अवधि (12 माह)	365 दिन
2	रविवार एवं अवकाश	82 दिन
3	जीरो वीक की अवधि	06 दिन
4	परीक्षा, इक्वान्ट परेड का अभ्यास एवं आकर्षिक कार्यों के लिए निर्धारित अवधि	34 दिन
5	स्टडी ट्रू	06 दिन
6	प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध कुल दिन	237 दिन
7	कालांश ब्रतिदिन (अन्तः विषय 06 कालांश, वाह्य विषय 05 कालांश)	11 कालांश
कुल कालांशों की संख्या		2607

2. पुनरीक्षित पाठ्यक्रम- पुलिस बल के उन्नयन एवं कौशल संबर्धन हेतु अन्तः विषयों एवं बाह्य विषयों के पाठ्यक्रम में कठिपय नये बिन्दुओं को समाहित करते हुए कालांश, पूर्णांक एवं समय सारिणी को पुनर्व्यवस्थापित किया जाता है, जो परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है।
3. प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य द्वारा मूल्यांकन हेतु दिशा निर्देश को विस्तृत रूप से स्पष्ट किया गया है, जो परिशिष्ट-2 के रूप में संलग्न है।
4. संस्था स्तर पर आयोजित की जानेवाली मध्यावधि परीक्षा एवं पुलिस अकादमी स्तर पर केन्द्रीय रूप से आयोजित की जानेवाली अंतिम परीक्षा हेतु सुस्पष्ट सिद्धान्त निरूपित किया गया है, जो परिशिष्ट-3 के रूप में संलग्न है।

तदनुसार आधारभूत अधिष्ठापन प्रशिक्षण हेतु संशोधित पाठ्यक्रम निम्नवत निर्धारित की जाती है :-

- (a) अन्तः कक्षीय प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम (विषय), कालांश एवं पूर्णांक निम्न सारिणी के अनुरूप परिशिष्ट-04 से 18(संलग्न) के अनुसार निर्धारित किया जाता है-

क्र. सं.	विषय	सम्पूर्ण योग		परिशिष्ट (संलग्न)
		कालांश	अंक	
1	ए-आनुनेक भारत में पुलिस	20	25	04
	बी-पुलिस संगठन एवं प्रशासन	45	75	05, 05A
2	भारतीय दण्ड संहिता	80	100	06
3	दण्ड प्रक्रिया संहिता	100	100	07
4	ए-भारतीय साक्ष्य अधिनियम	50	60	08
	बी-सविधान एवं मानवाधिकार	40	40	08A
5	स्थानीय प्रव विशेष अधिनियम	140	150	09
6	ए-विधि विज्ञान (फारेन्सिक साईंस)	80	100	10

	बी-विधि चिकित्सा शास्त्र (फारेसिक मेडिसिन)	40	50	10A
7	अनुसंधान	135	150	11
8	पुलिस थाना प्रबंधन एवं अपराध नियंत्रण	105	100	12
9	लोक शांति व्यवस्था का रख रखाव	100	100	13
10	अपराध शास्त्र	40	50	14
11	अनुसंधान-प्रयोगात्मक कार्य	100	100	15
12	ए-मानव व्यवहार बी-प्रबंधन	35 40	45 55	16 16A
13	कम्प्यूटर प्रशिक्षण - प्रयोग एवं उपयोगिता	100	100	17
14	पुलिस रेंग्यूलेशन / नियम / मैनुअल योग	100 1350	100 1500	18

(b) वाह्य कक्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (विषय), कालांश एवं पूर्णांक निम्न सारिणी के अनुरूप परिशिष्ट-19-29 (संलग्न) के अनुरूप निर्धारित किया जाता है।

क्र. सं.	विषय	सम्पूर्ण योग		परिशिष्ट (संलग्न)
		कालांश	अंक	
1	शारीरिक प्रशिक्षण	150	125	19
2	ड्रिल (पदादि प्रशिक्षण)	150	125	20
3	शस्त्र प्रशिक्षण (रात्रि फायरिंग सहित)	150	125	21
4	फोल्ड कापट एण्ड टैकिट्स, मैप रीडिंग एवं रुट मार्च	150	100	22
5	निःशस्त्र लड़ाई (यू०१०सी०)	40	30	23
6	योगासन	40	50	24
7	विस्फोटक	30	25	25
8	झाइविंग	60	50	26
9	तैराकी	40	20	27
10	घुड़सवारी	50	25	28
11	बाधा कोर्स	40	25	29
12	खेलकूद-जिम	100	0	29
	योग	1000	700	

प्रस्तुत आदेश गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार के पत्र संख्या-3465, दि०-26.04.2017
द्वारा अनुमोदित है।
अनुलग्नक-परिशिष्ट 01 से 29 तक।


पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 7473 / पी०-२
7-23-10-2009
पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना। २७-६-१२
पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि -:

- प्रधान सचिव, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।

2. पुलिस महानिदेशक(बिहार पुलिस अकादमी/प्रशिक्षण), बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।
3. सभी अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।
4. सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, बिहार (इकाई सहित) को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।
5. सभी क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक, बिहार(इकाई सहित) को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।
6. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी समादेष्टा/प्राचार्य, सी०टी०एस०, नाथनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।
7. प्रशाखा पदाधिकारी, पी-०१ प्रशाखा, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।
8. आई०टी० मैनेजर, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।


23/6/17

पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।

परिशिष्ट-०१

पुलिस अवर निरीक्षकों का आधारभूत अधिष्ठापन प्रशिक्षण (Basic Training) अध्ययन एवं मूल्यांकन

क्र. सं.	विषय	कालांश	अंक
1	अन्तः कक्षीय	1100	1500
2	वाह्य प्रशिक्षण	1000	700
3	कैप्सूल कोर्स	150	—
4	संवेदीकरण मॉड्यूल्स	105	—
5	राज्य विशिष्ट विषय	172	—
6	प्रधानाचार्य का आकलन	—	100
7	विशेषज्ञों के व्याख्यान / सेमिनार / वर्कशॉप	80	—
	कुल योग	2607	2300

(ii) अन्तः कक्षीय प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम, कालांश एवं अंक वितरण आदि

क्र. सं.	विषय	सम्पूर्ण योग	
		कालांश	अंक
1	ए—आधुनिक भारत में पुलिस	20	25
	बी—पुलिस संगठन एवं प्रशासन	45	75
2	भारतीय दण्ड संहिता	80	100
3	दण्ड प्रक्रिया संहिता	100	100
4	ए—भारतीय साक्ष्य अधिनियम	50	60
	बी—संविधान एवं मानवाधिकार	40	40
5	स्थानीय एवं विशेष अधिनियम	140	150
6	ए—विधि विज्ञान (फारेन्सिक साईंस)	80	100
	बी—विधि चिकित्सा शास्त्र (फारेन्सिक मेडिसिन)	40	50
7	अनुसंधान	135	150
8	पुलिस थाना प्रबंधन एवं अपराध नियंत्रण	105	100
9	लोक शांति व्यवस्था का रख रखाव	100	100
10	अपराध शास्त्र	40	50
11	अनुसंधान—प्रयोगात्मक कार्य	100	100
12	ए—मानव व्यवहार	35	45
	बी—प्रबंधन	40	55
13	कम्प्यूटर प्रशिक्षण — प्रयोग एवं उपयोगिता	100	100
14	पुलिस रेग्यूलेशन / नियम / मैनुअल	100	100
	योग	1350	1500

(iii) वाह्य कक्षीय प्रशिक्षण के कालांश एवं अंक—योजना

क्र. सं.	विषय	सम्पूर्ण योग	
		कालांश	अंक
1	शारीरिक प्रशिक्षण	150	125
2	ड्रिल (पदाधि प्रशिक्षण)	150	125
3	शास्त्र प्रशिक्षण (रात्रि फायरिंग संहित)	150	125
4	फील्ड काप्ट एण्ड टैकिट्स, मैप रीडिंग एवं रूट मार्च	150	100

5	निशस्त्र लड़ाई (यू०ए०सी०)	40	30
6	योगासन	40	50
7	विस्फोटक	30	25
8	ड्राइविंग	60	50
9	तैराकी	40	20
10	घुडसवारी	50	25
11	बाधा कोर्स	40	25
12	खेलकूद-जिम	100	0
	योग	1000	700

(iv) अ०नि० अधिष्ठापन प्रशिक्षण में संपूर्ण विषयों (Capsule Course) का पाठ्यक्रम :

क्र. सं.	विषय	कालांश
1	सामुदायिक पुलिसिंग	10
2	अभिसूचना एकत्रीकरण—सर्विलेन्स आदि पर व्यवहारिक प्रशिक्षण सहित	15
3	पूछताछ की विद्या	10
4	न्यायालय की कार्य प्रणाली	10
5	थाना का निरीक्षण	10
6	भूराजस्व अभिलेखों एवं नियमों से परिचय	10
7	संवाद कौशल, मीडिया प्रबंधन एवं नेगोसिएशन स्किल्स	20
8	आपदा प्रबन्धन	15
9	इलेक्ट्रोनिक सर्विलेन्स	10
10	मानव व्यापार	10
11	स्पीडी ट्रायल एवं अपील, जमानत रद्दीकरण, रिहाई की समीक्षा, प्रिवेंसन औफ मनी लाउड्रींग एक्ट, सम्पत्ति का समपहरण एवं विशेष न्यायालय, आर्थिक अपराध, ड्रैप कांड	20
12	वैज्ञानिक अनुसंधान की पद्धति : वैशिक परिदृश्य	10
	योग	150

- सम्पूर्ण विषयों की कक्षाओं का आयोजन इनसे संबंधित सैद्धांतिक कक्षाओं के विषयों के साथ-साथ किया जायेगा। सम्पूर्ण विषयों से संबंधित विशेषज्ञों एवं इन विषयों से संबंधित पदाधिकारियों एवं विभाग को सम्पुटिका अध्यापन हेतु आमंत्रित किया जायेगा। प्रशिक्षण प्रक्रिया; व्याख्यान, व्यवहारिक प्रदर्शन (Demo) काण्ड अध्ययन (Case study) की व्यवस्था की जायेगी। सम्पुटिका का अध्यापन विषयों के व्यवहारिक महत्व, उपयोगिता एवं कौशल वृत्ति विकाश के परिपेक्ष्य में किया जायेगा।

(v) संवेदीकरण मॉड्यूल (प्रशिक्षण)

क्र. सं.	विषय	कालांश
1	लिंग संवेदीकरण	05
2	जाति एवं साम्रदायिक विवादों में पुलिस की भूमिका	05
3	स्वास्थ्य एवं एड्स	10
4	अपराध पीड़ित के साथ व्यवहार	05
5	जनता के साथ व्यवहार-क्या करें और क्या न करें	05
6	गैर सरकारी (समाज सेवी) संगठनों से समन्वय	05

7	जेल : कार्य पद्धति तथा भ्रमण	08
8	न्यायालय : कार्यपद्धति तथा भ्रमण	08
9	जिला पुलिस कार्यालय : कार्यपद्धति तथा भ्रमण	08
10	पुलिस केन्द्र : कार्यपद्धति तथा भ्रमण	08
11	पुलिस थाना : कार्यपद्धति तथा भ्रमण	08
12	जिलाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय का भ्रमण	05
13	वृद्ध आश्रम का भ्रमण	05
14	महिला आश्रम (रिमांड होम) का भ्रमण	05
15	बाल गृह का भ्रमण	05
16	अभियोजन कार्यालय का भ्रमण	05
17	चिकित्सालय/शव विच्छेदन गृह का भ्रमण	05
	योग	105

(vi) दैनिक समय सारिणी

अन्तः विषय			वाह्य विषय		
क्र. सं.	समय	कालांश	क्र. सं.	समय	कालांश
1	09.30 से 10.10 बजे तक	प्रथम	1	06.00 से 06.40 बजे तक	प्रथम
2	10.10 से 10.50 बजे तक	द्वितीय	2	06.45 से 07.25 बजे तक	द्वितीय
3	10.50 से 11.30 बजे तक	तृतीय	3	16.00 से 16.45 बजे तक	तृतीय
4	11.30 से 12.10 बजे तक	चतुर्थ	4	16.50 से 17.30 बजे तक	चतुर्थ
5	12.10 से 12.25 बजे तक	मध्यान्तर	5	17.35 से सूर्यास्त	खेल
6	12.25 से 13.05 बजे तक	पंचम	नोट - ऋतु के अनुसार वाह्य विषय समय सारिणी परिवर्तनीय है।		
7	13.05 से 13.45 बजे तक	षष्ठम			

परिशिष्ट-०२
प्राचार्य मूल्यांकन हेतु दिशा निर्देश

प्राचार्य द्वारा मूल्यांकन हेतु 100 अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार है -

(अ) 50 अंक प्रशिक्षणों की अन्तः एवं वाहय विषयों के प्रशिक्षण में ली गई रुचि, खेल-कूल, विभिन्न गतिविधियों के निर्वहन के आधार पर निम्न प्रकार निर्धारित हैं -

i)- प्रशिक्षण की मध्यावधि परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर — 35 अंक

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. विशेष योग्यता 75% से ऊपर अंक प्राप्त करने पर | — | 35 अंक |
| 2. प्रथम श्रेणी 60% से 74.99% तक अंक प्राप्त करने पर | — | 30 अंक |
| 3. द्वितीय श्रेणी 50% से 59.99% तक अंक प्राप्त करने पर | — | 20 अंक |
| 4. तृतीय श्रेणी 40% से 49.99% तक अंक प्राप्त करने पर | — | 10 अंक |

ii)-प्रशिक्षण के दौरान खेलों के लिए अधिकतम अंक — 10 अंक

iii)-विशेष गतिविधियों के लिए अधिकतम अंक — 05 अंक

- | | | |
|--------------------------|---|--------|
| 1. कक्षा मॉनीटर | — | 05 अंक |
| 2. टोली कमाण्डर | — | 03 अंक |
| 3. मेस मैनेजर | — | 02 अंक |
| 4. सांस्कृतिक गतिविधियाँ | — | 02 अंक |

नोट - कक्षा मॉनीटर, टोली कमाण्डर का चयन मध्यावधि परीक्षा में प्राप्त श्रेष्ठताकम के आधार पर किया जायेगा। यदि प्रशिक्षु द्वारा एक से अधिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन भी किया गया है तो भी उसे अधिकतम 05 अंक ही दिए जायेंगे।

(ब) प्रधानाचार्य के विवेकाधीन शेष 50 अंक प्रशिक्षार्थी के अन्तः एवं वाहय विषयों के ज्ञान के आंकलन, प्रशिक्षण में ली गई रुचि, अनुशासन, प्रशिक्षण के मध्य प्राप्त पुरुस्कार तथा कर्तव्यनिष्ठा इत्यादि को ध्यान में रखकर साक्षात्कार के उपरान्त दिए जायेंगे।

(स) निम्नलिखित प्रकार के अनुशासनहीनता के दृष्टान्तों पर उक्त अंकों में से अधिकतम 25 ऋणात्मक अंक किए जायेंगे।

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. विलम्ब से आगमन, अनुपस्थिति, निर्धारित अवकाश से अधिक अवकाश, सिक, रेस्ट, अस्पताल दाखिल 1 / 2 अंक प्रतिदिन की दर से अधिकतम | — | 10 अंक |
| 2. गम्भीर अनुशासनहीनता | — | 07 अंक |
| 3. अवज्ञा | — | 05 अंक |
| 4. आदेश कक्ष (ओ०आर०) में दण्ड | — | 02 अंक |
| 5. डिफाल्टर / चेतावनी | — | 01 अंक |

परिशिष्ट-03
परीक्षा एवं मूल्यांकन संक्षेप

- 1— संस्था स्तर पर छः माह के प्रशिक्षण के पश्चात् अन्तः विषयों एवं वाह्य विषयों की एक 400 अंकों की मध्यावधि परीक्षा आयोजित की जायेगी। इस परीक्षा में 300 अंक की अन्तः विषयों की एवं 100 अंकों की वाह्य विषयों की परीक्षा होगी। अन्तः विषयों में 150 अंक एवं 150 प्रश्न प्रत्येक के दो वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) प्रश्न पत्र होंगे। परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटा होगी। प्रत्येक प्रश्न पत्र में छः माह की अवधि तक पढ़ाये गये सम्पूर्ण विषयों के आधे-आधे विषयों का समानुपातिक मिश्रण होगा। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों की श्रेणी के आधार पर अनुपातिक दर से प्राचार्य द्वारा मूल्यांकन के अंकों में अधिकतम 45 अंक दिये जायेंगे।
- 2— पुलिस अकादमी द्वारा केन्द्रीय रूप से अन्तिम परीक्षा आयोजित कराई जायेगी। अन्तः विषयों की अन्तिम परीक्षा वस्तुनिष्ठ 50 प्रतिशत(Objective) तथा 50 प्रतिशत आत्मनिष्ठ(Subjective)प्रकार की होगी। प्रयोगात्मक परीक्षा को छोड़कर सभी पेपर वस्तुनिष्ठ एवं आत्मनिष्ठ प्रकार के होंगे। प्रतिदिन दो प्रश्न पत्र आयोजित कराये जायेंगे। प्रयोगात्मक परीक्षाओं का मूल्यांकन अकादमी द्वारा प्रयोगात्मक परीक्षा के समय ही कर लिया जायेगा। इस हेतु अलग से कोई परीक्षा नहीं होगी। यदि प्रशिक्षण विभिन्न केन्द्रों में आयोजित है, तो भी प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाओं हेतु पूर्ण दायित्व अकादमी का होगा।
- 3— प्रशिक्षण के 12 वें माह में अन्तिम परीक्षा आयोजित की जायेगी जिसका संक्षेप में निम्नानुसार निर्धारण किया गया है :—

अन्तकक्षीय परीक्षायें	—1500 अंक
वाह्यकक्षीय प्रशिक्षण	—700 अंक
प्रधानाचार्य का आंकलन	—100 अंक
योग	—2300 अंक
- 4— उत्तीर्ण होने हेतु अन्तः एवं वाह्य विषयों के प्रत्येक प्रश्नपत्र में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 5— उत्तीर्ण होने हेतु अन्तः एवं वह्य विषयों के प्रत्येक समूह में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
 - (अ) परीक्षा में अनुत्तीर्ण प्रशिक्षु उप-निरीक्षक का पूरक प्रशिक्षण एवं परीक्षा पुलिस आदेश संख्या-238/93 के अनुरूप करायी जायेगी। प्रशिक्षण/परीक्षा उन्हीं विषयों की कराई जायेगी, जिसमें वे अनुत्तीर्ण रहें हो।
 - (ब) परीक्षा में कदाचार करते हुए पकड़े जाने पर प्रशिक्षु की सम्पूर्ण परीक्षा निरस्त मानी जाएगी और बिहार पुलिस हस्तक के प्रावधान के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।

परिशिष्ट-04

आधुनिक भारत में पुलिस, पुलिस संगठन एवं प्रशासन
आधुनिक भारत में पुलिस

कालांश-20

अंक-25

- 1— एक कल्याणकारी राज्य में आदर्श पुलिस कार्यशैली
- 2— वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के सन्दर्भ में पुलिस की परिवर्तनशील भूमिका एवं पुलिस कार्य में व्यवहारगतत परिवर्तनों की आवश्यकता—बल उन्मुखता से सेवा उन्मुखता में रूपान्तरण
- 3— पुलिस कार्यों में वृत्ति—दक्षता (Professionalism)
- 4— पुलिस के लिए आचरण संहिता
- 5— राज्य की अर्थ व्यवस्था एवं भूगोल
 - (क) आर्थिक
 - प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं पुलिस बजट
 - (ख) भारत का भूगोल (स्वाध्याय हेतु विषय)
 - भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेश व उनकी राजधानियाँ
 - भारत के मानविचंत्र की व्यवहारिक जानकारी तथा पड़ोसी देशों की सीमायें।
 - प्राकृतिक भाग, मुख्य औद्योगिक नगर, रेलवे लाईन, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, मुख्य नदियाँ
 - (ग) पर्यावरण (स्वाध्याय हेतु विषय)
 - पर्यावरण संरक्षण
 - ग्लोबल वार्मिंग का ज्ञान
- 6— नागरिक प्रशासन में पुलिस की भूमिका एवं अन्य विभागों — जैसे विकित्सा विभाग, जेल विभाग, शिक्षा विभाग, अनुमंडल, ब्लॉक डेवलेपमेंट अधिकारी, टेलीफोन, विजली विभाग, नगर पालिका आदि के साथ संबंध संबंध एवं उपयोगिता।
- 7— सामाज्य जानकारी (स्वाध्याय हेतु विषय)
 - पुलिस स्मृति दिवस
 - अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट
 - उपलब्धियाँ तथा पुरस्कार
 - विभिन्न खेल प्रतियोगिताये
 - विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व
 - विद्यात पुस्तकें
 - नवीन राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम (स्वाध्याय हेतु विषय)
- 8— कानून का शासन :—
 - आपराधिक न्याय व्यवस्था में पुलिस की भूमिका
 - राष्ट्रीय झण्डा प्रतीक एवं राष्ट्रीयगान का महत्व
 - विधांसकारी ताकतों से राष्ट्रीय एकता एवं आखण्डता को चुनौतियाँ—साम्प्रदायिकता, रुदिवादिता, अतिवाद व आतंकवाद तथा चुनौतियों से मुकाबले में पुलिस की भूमिका।
 - सामाजिक—आर्थिक समस्यायें और पुलिस की भूमिका
 - राजनैनिक दल—क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय
 - कम्यूनिटी पुलिसिंग की अवधारणा / पुलिस जनता साझेदारी
- 9— पुलिस सुधार

*इस पेपर के अन्तर्गत पढ़ाये जानेवाले विषयों का फोकस राज्य केन्द्रीत होना चाहिए। राज्य के विभिन्न भागों से आनेवाले प्रशिक्षु राज्य में पुलिस के समुख प्रचलित सामाजिक—आर्थिक स्थिति एवं कानून व्यवस्था के मुद्दों समझने में समर्थ होने चाहिए। उद्देश्य यह है कि पुलिस कर्म के सन्दर्भ में अधिकारीगण को उनकी आदर्श भूमिका समझायी जा सके।

परिशिष्ट-०५
पुलिस संगठन

कालांश-३०**अंक-५०**

- १— भारत में पुलिस का उदभव, विकास एवं इतिहास
- २— केन्द्रीय पुलिस संगठन एवं संस्थान :—

 - १— आईबी, २— सीबीआई
 - ३— बीपीआरएण्डडी ४— सीआरपीएफ
 - ५— बीएसएफ ६— आरपीएफ
 - ७— सीआईएसएफ ८— एनपीए
 - ९— एनआईसीएफएस १०— एनसीआरबी
 - ११— एनआईए १२— एसएसबी
 - १३— रॉ १४— आरपीएसएफ
 - १५— एसएसबी १६— एनएसजी
 - १७— आईएसए १८— एसपीजी
 - १९— आईटीबीपी
 - २०— सेन्ट्रल फोरेंजिक इन्स्टीट्यूट – सी०डी०टी०एस०, हैदराबाद, कोलकत्ता, चंडीगढ़
 - २१— संदर्भ अभिलेखों के सरकारी परीक्षण के कार्यालय – शिमला, कोलकत्ता हैदराबाद
 - २२— सेन्ट्रल फिंगर प्रिन्ट व्यूरो, कोलकत्ता
 - २३— सेन्ट्रल फोरेंसिक साईंस लेबोरेटरी दिल्ली, कोलकत्ता, हैदराबाद

 - ३— इंडियन आर्म्ड फोर्सेज – टैरीटोरियल आर्मी एवं एनसीसी सहित
 - ४— राज्य पुलिस संगठन – (राज्य स्तर, परिक्षेत्र स्तर, कमिशनरी व्यवस्था, जिला स्तर/ अनुमंडल स्तर/ अंचल स्तर, पुलिस थाना पर) अन्य ईकाईयों जैसे :— अभियोजन शाखा, एनसीआरबी / फिंगर प्रिन्ट्स व्यूरो, सीआईडी, सीआईडी काईम व्यूरो, महिला पुलिस, रेलवे पुलिस, पुलिस दूरसंचार, यातायात पुलिस एवं राजमार्ग यातायात पुलिस, स्टेट फोरेंसिक साईंस लेबोरेटरी, सशस्त्र पुलिस, होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा, विशेष पुलिस अधिकारी, भारतीय रिजर्व बटालियन (आईआरबी) राज्य पुलिस अकादमी, राज्य कमांडो इकाई, पुलिस मुख्यालय, निगरानी अन्वेषण व्यूरो, अग्निशमन सेवायें, राज्य अपराध शाखा, गृह विभाग।
 - ५— अभियोजन शाखा एवं न्यायालय कर्तव्य
 - ६— जिला पुलिस की विभिन्न शाखाओं के कार्य – जिला अपराध शाखा (डी.सी.बी.), पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पुलिस लाइन्स, जिला विशेष शाखा, जिला यातायात शाखा, दूरसंचार इकाई आदि।

परिशिष्ट-05A

प्रशासन

कालांश-15

अंक-25

- 1— केन्द्रीय सरकार का प्रशासनिक ढांचा
- 2— राज्य सरकार का प्रशासनिक ढांचा
- 3— स्थानीय स्व-शासन (नागरीय एवं ग्रामीण)
- 4— जिला एवं उप सम्भागीय प्रशासनिक ढांचा। राजस्व अधिकारियों के साथ पुलिस के सम्बन्ध, न्यायपालिका, अभियोजन शाखा एवं स्वास्थ्य अधिकारीगण
- 5— पुलिस, आर्मी, नेवी एवं वायु सेना के पद एवं पद चिन्ह
- 6— प्रतिष्ठित व्यक्तियों, पुलिस, नागरिक, मिलिट्री एवं न्यायिक अधिकारियों के वाहनों के झण्डे/तारे/प्रतीक चिन्ह
- 7— गैर सरकारी संगठनों की भूमिका
- 8— पुलिस कर्म में समकालीन मुद्दे :—
 - राष्ट्रीय अखण्डता को आन्तरिक चुनौतियाँ
 - जातिवार साम्प्रदायिकतावाद एवं रुढ़िवाद
 - आतकवाद, युद्धप्रियता एवं वामपंथी उग्रवाद
 - महिलाओं, बालकों एवं समाज के कमज़ोर वर्गों के विरुद्ध अपराध – पुलिस की भूमिका
 - लिंग संवेदीकरण
 - महिला पुलिस एवं पुलिस कार्य में उनकी भूमिका
 - कार्य स्थलों पर लैंगिक उत्पीड़न
 - प्रशिक्षण की समाप्ति पर, अधिकारी को सरकार के प्रशासनिक ढांचे एवं पुलिस विभाग की विभिन्न शाखाओं की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए।

परिशिष्ट-०६
भारतीय दण्ड संहिता

कालांश-८०

अंक-१००

- अध्याय १—प्रस्तावना एवं अपराध की अवधारणा धारा १ से ५
 अध्याय २—सामान्य व्याख्यायें धारा १०, १४, २१ से ३०, ३४, ४४, ५४, ५२, ५२ए
 अध्याय ३—दण्ड धारा ५३, ७५
 अध्याय ४—साधारण अपवाद धारा ७६ से १०६
 अध्याय ५—दुष्प्रेरण एवं आपराधिक षडयन्त्र धारा १०७ से १०९, ११४
 अध्याय ५—(क)—अपराधिक षडयन्त्र १२०ए, १२०बी
 अध्याय ६—राज्य के विरुद्ध अपराध धारा १२१ से १२४, १२४ए
 अध्याय ७—आर्मी, नेवी एवं एयर फोर्स से सम्बन्धित अपराध धारा १३६, १४०
 अध्याय ८—लोक प्रशान्ति के विरुद्ध अपराध धारा १४१ से १४९, १५१, १५३ए, १५३बी, १५९, १६०
 अध्याय ९—लोक सेवकों से सम्बन्धित अपराध धारा १६६, १६६क(संशोधित) १७०, १७०
 अध्याय ९—(क)—निर्वाचन से सम्बन्धित अपराध धारा १७१ए, बी, सी, डी, ई
 अध्याय १०—लोक सेवकों के विधि पूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में धारा १७४, १७४क, १८२ से १८८
 अध्याय ११—झूठा साक्ष्य, व्यक्तियों एवं न्याय के विरुद्ध अपराध धारा १९१ से १९३, १९५क, १९६, २०१, २११,
 २१२, २१६, २१८, २२३ से २२५, २२७, २२८, २२८एए २२९ए
 अध्याय १२—सिविकों एवं सरकारी स्टाम्प से सम्बन्धित अपराध धारा २५५ से २६०, २६३क
 अध्याय १३—अध्याय १३ शून्य (बाट—माप से संबंधित है, जो पाठ्यक्रम में नहीं है)
 अध्याय १४—लोक स्वास्थ्य, क्षेत्र, सुविधा, शिष्टता एवं सदाचार पर प्रभाव डालनेवाले अपराध धारा २६८ से
 २७०, २७२ से २७६, २७७, २७८, २७९, २८३, २८५, २८९, २९२, २९३, २९४
 अध्याय १५—धर्म से सम्बन्धित अपराध धारा २९५, २९५क, २९६, २९७, २९८
 अध्याय १६—मानव शरीर पर प्रभाव डालनेवाले अपराध धारा २९९ से ३०४, ३०४ए—बी, ३०६, ३०७, ३०८, ३०९,
 ३१३, ३१५, ३१७, ३१८, ३१९ से ३२६, ३२६क, ३२८, ३३० से ३३३, ३३६ से ३३८, ३३९ से ३४२, ३४९ से
 ३५४, ३५४ ए, बी, सी, डी, (संशोधित), ३५६, ३५९ से ३६४, ३६४ए, ३६५, ३६६, ३६८, ३७०क, (संशोधित),
 ३७५, ३७६, ३७६ ए, बी, सी, डी(संशोधित) ३७७
 अध्याय १७—सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध सम्पत्ति के न्यास भंग से सम्बन्धित अपराध छल, रिष्टि से संबंधित
 अपराध धारा ३७८ से ३८४, ३८५, ३८६, ३८७, ३९०, ३९१, ३९२ से ३९७, ३९८, ३९९, ४०१, ४०२, ४०५,
 ४०६ से ४०६, ४१०, ४११, ४१२, ४१३, ४१४, ४१५, ४१९, ४२०, ४२५, ४२९, ४३०, ४३५, ४३६, ४४१ से ४६०
 अध्याय १८—अभिलेखों, सम्पत्ति चिह्नों से सम्बन्धित अपराध एवं मुद्रा का कूटकरण धारा ४६३ से ४६५, ४६७,
 ४६८, ४७०, ४७१, ४७७क, ४८९ ए, बी, सी, डी, ई
 अध्याय १९—अध्याय १९ शून्य (सेवा संविदाओं से संबंधित है, जो पाठ्यक्रम में नहीं है।)
 अध्याय २०—विवाह से सम्बन्धित अपराध धारा ४९४, ४९५, ४९७, ४९८
 अध्याय २०—(क)—पति या पति के नातेदार द्वारा कूरता के विषय में धारा ४९८ए
 अध्याय २१—मान हानि के विषय में धारा ४९९
 अध्याय २२—आपराधिक अभित्रास, अपमान एवं अपराध कारित करने के प्रयास धारा ५०३, ५०९
 अध्याय २३—अपराधों के करने के प्रयत्न में धारा ५११

परिशिष्ट-07
दण्ड प्रक्रिया संहिता

कालांश-100

अंक-100

अध्याय 1—प्रस्तावना एवं परिभाषायें धारा 1, 2 ए, बी, सी, डी, जी, एच, आई, के, एल, ओ, आर, एस, डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यूए

अध्याय 2—आपराधिक न्यायालय एवं अभियोजन इकाई धारा 6, 9, 11, 12, 13, 20, 21, 24, 25, 25क

अध्याय 3—न्यायालय की शक्ति धारा 26, 28, 29, 30

अध्याय 4—पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की शक्तियाँ धारा 36 से 40

अध्याय 5—व्यक्तियों की गिरफ्तारी, चिकित्सीय परीक्षण आदि 41 से 60 (गिरफ्तारी के संबंध में अद्यतन संशोधन सहित एवं भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डी0के0 बसु एवं अन्य मामलों में गिरफ्तारी से सम्बन्धित निर्गत निर्देश)

अध्याय 6—उपस्थित होने के लिए विवश करने वाली आदेशिकायें धारा 61 से 90

अध्याय 7—वस्तुएँ प्रस्तुत करने के लिए विवश करने वाली आदेशिकायें धारा 91, 93 से 95, 97, 98, 100, 102, 105

अध्याय 8—परिशान्ति एवं सदाचार बनाये रखने के लिए प्रतिभूति धारा 106 से 166

अध्याय 9—अध्याय 9 शून्य (भरण—पोषण से संबंधित है, जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है।)

अध्याय 10—लोक व्यवस्था एवं परिशान्ति बनाये रखना न्यूसेन्स हटाना धारा 129 से 132, 133, 144, 145

अध्याय 11—पुलिस द्वारा रोकथाम की कार्यवाही धारा 149 से 151

अध्याय 12—पुलिस के लिए सूचना एवं अन्वेषण की शक्तियाँ धारा 154 से 176 (अद्यतन संशोधन सहित)

अध्याय 13—न्यायालयों की अधिकारिताधारा 177 से 183

अध्याय 14—आपराधिक कार्यवाहियाँ शुरू करने के लिए आवश्यक शर्त धारा 190, 195, 195क से 199

अध्याय 15—मजिस्ट्रेट से परिवाद धारा 200, 202

अध्याय 16—मजिस्ट्रेट के समुख कार्यवाही का प्रारम्भ धारा 204, 209

अध्याय 17—आरोप धारा 218, 219

अध्याय 18—18, 19, 20 एवं 21 शून्य (पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है।

अध्याय 21—(क)—प्ली बार्गनिंग धारा 265क से 265च

अध्याय 22—कारागार में निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी के विषय में धारा 267 से 270

अध्याय 23—जांचों व विचारण में साक्ष्य से सम्बन्धित धारा 299

अध्याय 24—जांचों व विचारण के बारे में सामान्य प्रावधान धारा 306, 309

अध्याय 25—गिरूत चित्त अभियुक्तों के बारे में धारा शून्य (पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं)

अध्याय 26—न्याय प्रशासन पर प्रभव डालने वाले अपराधों के बारे में धारा 345, 350

अध्याय 27—निर्णय धारा 360

अध्याय 28—मृत्यु दण्डादेश के बारे में धारा शून्य (पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है।)

अध्याय 29—अपीलें धारा 377, 378

अध्याय 30—30, 31 एवं 32 पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है।

अध्याय 33—जमानत एवं बन्धपत्र से सम्बन्धित उपबन्ध धारा 436, 436क, 437क से 441

अध्याय 34—सम्पत्ति का निस्तारण धारा 456 से 459

अध्याय 35—पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है।

अध्याय 36—विविध धारा 468, 473

अध्याय 37—प्रकीर्ण धारा 482 एवं परिशिष्ट 1 एवं 2 की जानकारी।

केस लॉ

- 1—नंदिनी सम्पति बनाम पी0एल0 दानी राज्य 1976 एससीसी पृष्ठ 424 अनुसंधानकर्ता के कर्तव्य अनुसंधान पदाधिकारी किसी अभियुक्त/संदिग्ध पर शारीरिक/मानसिक एवं अन्य दबाव नहीं डलेगा एवं हिरासत के दौरान अभियुक्त विधिक सहायता हेतु विधि परामर्शी को बुला सकता है।
- 2—भगतं सिंह बनाम पुलिस कमिशनर 1985 एसीसी 246 (उच्चतम न्यायालय) एसीसी 2011 पृष्ठ 719 उच्चतम न्यायालय अन्तिम रिपोर्ट

अंतिम रिपोर्ट लगाये जाने के उपरान्त उसे न्यायालय द्वारा बिना रिपोर्टकर्ता का पक्ष सुने, स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। यह तथ्य इन विधि व्यवस्थाओं में मात्र सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किया गया है।
- 3—जसबन्त व अन्य बनाम उ0प्र0राज्य एसीसी 1994(31) पृष्ठ 425

मुलिजम पक्ष द्वारा जमानत के समय वादी पक्ष के गवाहों के शपथ पत्र मान्य नहीं है।
- 4—रघुवीर बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश(ए0आई0आर0 1995 पृष्ठ 216 उच्च न्यायालय इलाहाबाद)

यदि थानाध्यक्ष की गिरफ्तारी है तो उसका अधीनस्थ उ0नी0 इस वाद की अनुसंधान नहीं कर सकता
- 5—योगेन्द्र नाहक बनाम उडीसा राज्य (ए0आई0आर0 1999 च्चतम न्यायालय पृष्ठ 2565)
- 6—बाल चन्द्रन बनाम केरल राज्य (द्र0नी0पा0 पृष्ठ 2)

पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने से सम्बन्धित सूचना प्राप्त होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होता है और वह इस आधार पर रिपोर्ट दर्ज करने से इंकार नहीं कर सकता कि उसे यह सूचना उपर्युक्त या विश्वसनीय प्रतीत नहीं हो रहा है।
- 7—राजस्थान राज्य बनाम एन0को एससीसी 2000 पृष्ठ 30 प्रथम सूचना में देरी

प्राथमिकी दर्ज करने में देरी किन परिस्थितियों में क्षम्य है, यह व्यवस्था इस निर्णय में मात्र उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदान की गयी है।
- 8—उ0प्र0 राज्य बनाम सुरेन्द्र त्रिपाठी आदि एसीसी 2001 पृष्ठ 726 (उच्च न्यायालय इलाहाबाद) विधि विरुद्ध कब्जा विधि विरुद्ध अधिपत्य यदि मान्य है तब उसे संपत्ति के मालिक द्वारा भी बल प्रयोग करके नहीं निकाला जा सकता है। मात्र उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह विधि व्यवस्था दी गयी है।
- 9—सुन्दर भाई अम्बा लाल देसाई बनाम गुजरात राज्य (उम0नी0पा0 2003 पृष्ठ 338)

पुलिस द्वारा अभिगृहित वस्तुओं को अनावश्यक रूप से या दीर्घावधि तक पुलिस थानों में नहीं पड़े रहने देना चाहिए।
- 10—किशन पाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (एसीसी 2006 पृष्ठ 1015)

यद्यपि न्यायालय द्वारा अन्वेषण के प्रक्रम पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं है तथापि समान रूप से ये भी सही है कि अन्वेषण अधिकारी को किसी समय सीमा के बिना अन्वेषण के निष्कर्ष को देर तक रोके रखने का अधिकार नहीं दिया जा सकता।
- 11—रीमा अग्रवाल बनाम अनुप 2004 सीआरएलजे 872 (एस0सी0)

विवाह अवैध होने पर भी दहेज हत्या के प्रकरण में धारा 304 वी के प्राविधान लागू होंगे।
- 12—विश्वनाथ बनाम जम्मू काश्मीर राज्य एआईआर 1983 (एससी)174

अस्थायी गवन भी गवन की श्रेणी में आता है।
- 13—बृज लालभर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2006(55) एसीसी 864 (इलाहाबाद उच्च न्यायालय)

यदि मामला थाने पर असंज्ञेय के रूप में दर्ज होता है और बाद में संज्ञेय मामले की साक्ष्य प्राप्त होती है तो अनुसंधान करनेवाले पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट से अनुसंधान की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

- 14— महाराष्ट्र राज्य बनाम तापस डी० नियोगी 1999 किं०ल०० ज० 4305 (एससी) अभियुक्त द्वारा अपराध की कमाई से बैंक में जमा किया गया धन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 102 के अन्तर्गत सम्पत्ति की श्रेणी में आता है। अनुसंधान को अन्वेषण के दौरान ऐसे व्यक्ति का बैंक एकाउन्ट सीज करने व परिचालन बन्द करने का निर्देश बैंक अधिकारी को देने का अधिकार है।
- 15— शौकीन बनाम उ०प्र० राज्य 2011 (75) एसीसी 763 (इलाहाबाद उच्च न्यायालय) 7 वर्ष तक की सजा के अपराधों में पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए धारा 41 में दर्शाये गये आधारों का अनुपालन करना चाहिए।
- 16— अनीमी रेड्डी बैंकटरामन्ना बनाम पब्लिक प्रोसीक्यूटर, एचसी ऑफ एपी 2008(61) एसीसी 703एससी यदि पुलिस अधिकारी को संगीन अपराध के घटित होने की सूचना प्राप्त होती है तो बिना औपचारिक एफआईआरदर्ज किये उसका कर्तव्य है कि वह मौके पर जाकर धायतों की सुरक्षा प्रदान करें।
- उद्देश्य यह है कि अधिकारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता के उन सुसंगत उपबन्धों से सज्जित कर दिया जाये, जिन्हें उसे अन्वेषण अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्य के निवहन और न्यायालय एवं अभियोजन इकाई को न्यायिक कार्यवाहियों के मध्य सहायता प्रदान करते समय प्रयोग में जाना होता है।

परिशिष्ट-08

साक्ष्य अधिनियम, संविधान, मानवाधिकार
ए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम

कालांश-50

- अध्याय 1-प्रस्तावना एवं परिभाषायें धारा 1 से 3
- अध्याय 2-तथ्यों की सुसंगतता धारा 5 से 11, 14, 15
 - स्वीकृतियाँ 17, 24 से 30
 - मृत्युकालिक कथन धारा 32, 32(1)
 - विशेषज्ञ की राय धारा 45, 45क, 47, 47क, 48

अध्याय 3-पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है।

अध्याय 4-मौखिक साक्ष्य के विषय में धारा 59, 60

अध्याय 5-अभिलेखीय साक्ष्य धारा 61, 62, 63 65क, 65ख, 67, 67क, 73क

अध्याय 6- पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है।

अध्याय 7-शील की सुसंगतता धारा 51, 53, 54, 61

अध्याय 9-सार्वजनिक एवं निजी अभिलेख धारा 73, 74, 75, 76

अध्याय 10-साक्ष्य का भार धारा 101 से 110

अध्याय 11-उपधारणा धारा 113ए, 13बी, 114ए

अध्याय 12-साक्षीगण धारा 118, 119

अध्याय 13-विशेषाधिकार पूर्ण संसूचना धारा 122 से 126

अध्याय 14-सह अपराधी धारा 133, 134

अध्याय 15-साक्षीगण का परीक्षण धारा 137, 138, 139, 141, 145, 146, 154, 155, 157, 159, 160 से 165

अंक-60

केस लॉ

1. सुनील व अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली राज्य) एसीसी 2001 पृष्ठ 223 (उच्चतम न्यायालय) धारा 27 सा०अधि० की बरामदगी

धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस द्वारा की गई बरामदगी इस कारण अविश्वसनीय नहीं होगी कि अभिलेखों पर निष्पक्ष/स्वतंत्र साक्षियों के हस्ताक्षर पुलिस ने नहीं कराये।

2. राजस्थान राज्य बनाम हनुमान एसीसी 2001 पृष्ठ 351 (उच्चतम न्यायालय) मृत्युकालीन कथन यदि घटना को साक्षी परिवारजन ही है तब भी उनकी साक्ष्य की ग्राहयता कितनी होगी, इस विधि व्यवस्था में मा० सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रकाश डाला गया।

3. उकराम बनाम राजस्थान राज्य एसीसी 2001 पृष्ठ 972 (उच्चतम न्यायालय) मृत्युकालीन कथन मा०सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस विधि व्यवस्था में मृत्युकालीन कथन की ग्राहयता एवं कथन अंकित करते समय बरती जाने वाली साक्षात्तन्त्रियों पर प्रकाश डाला गया है।

4. निसार अहमद बनाम बिहार राज्य एसीसी 2001 पृष्ठ 846 (उच्चतम न्यायालय) परिस्थितिजन्य साक्ष्य मा०सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस विधि व्यवस्था में यह कहा है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य का क्या महत्व है एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दण्ड दिया जा सकता है।

- विभिन्न केस लॉ के संबंध में पुलिस महानिदेशक मुख्यालय द्वारा निर्गत परिपत्रों की जानकारी एवं ज्ञान।
- उदेश्य यह है कि अधिकारी साक्ष्यों की प्रकृति और न्यायालय में उनकी स्वीकार्यता समझ सके। विषय के अध्ययन में स्पष्टीकरण एवं उदाहरणों का समावेश किया जाना चाहिए ताकि अधिकारी प्रशिक्षण की समाप्ति के पश्चात मामले से सम्बन्धित सुसंगत साक्ष्य एकत्रित करने के योग्य हो सके।

परिशिष्ट-08A

बी. संविधान एवं मानव अधिकार

कालांश-40

अंक-40

- 1—भारतीय संविधान का परिचय एवं प्रस्तावना
- 2—कानून के शासन की अवधारणा
- 3—मौलिक अधिकार (आर्टिकल 12 से 35)
- 4—राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्त (आर्टिकल 36 से 51)
- 5—मौलिक कर्तव्य
- 6—सशस्त्र बलों एवं पुलिस के अधिकारों का निर्बंधन (आर्टिकल 33), आर्टिकल 226, केन्द्र एवं राज्यों के अधीन सेवा (आर्टिकल 308 से 311), सांसदों एवं विधायकों की शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार (आर्टिकल 105 से 194), परिशिष्ट 7—केन्द्रीय, राज्य एवं समवर्ती सूचिया
- 7—मानवाधिकारों की अवधारणा एवं उनका महत्व
- 8—मानवाधिकारों की सार्वभौमिक उद्घोषणा 1948
- 9—नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा
- 10—मानवाधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1993 (धाराये 2,3,4,5,12,13,14)
- 11—मानवाधिकारों एवं अपराध पीड़ित, परिवारी, साक्षी, अभियुक्त से व्यवहार विषयक विभागीय निर्देशों के मुद्दे पर न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय
- 12—मानवाधिकारों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, महिलाओं, बालकों एवं अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोगों का कार्य एवं शक्तियाँ
- 13—अभिरक्षा में अपराधों की पुलिस अनुसंधान से सम्बन्धित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा—निर्देश
- 14—मानवाधिकारों के संरक्षण में पुलिस की भूमिका
- मानवाधिकारों के सम्बन्ध में पुलिस के विरुद्ध सामान्य शिकायतें (केस स्टडीज)
- मानवाधिकारों की संरक्षक के रूप में पुलिस की छवि को सुधारने की आवश्यकता एवं पहल

केस लॉ

1. खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (ए0आई0आर0 1963 उच्चतम न्यायालय पृष्ठ 1925)
बिना किसी विधिक प्राधिकार के पुलिस कर्मियों द्वारा मात्र पर्यवेक्षण के नाम पर किसी व्यक्ति को धर में रात्रि के समय नियमित रूप से जाना और वहाँ जाकर उसकी उपस्थिति दर्ज करना स्पष्टतया उस व्यक्ति के जीवन व दैहिक स्वतंत्रता में एक अनुचित हस्तक्षेप है।
2. परमानन्द सिंह बनाम भारत संघ (ए0आई0आर0 1989 उच्चतम न्यायालय पृष्ठ 2039)
एक दुर्घटनाग्रस्त या घायल व्यक्ति का जीवन विधिक औपचारिकताओं की तुलना में कही अधिक मूल्यवान होता है।
3. नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य (एम0सी0सी0 1993 पृष्ठ 746)
पुलिस अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, राज्य का प्रमुख कर्तव्य है और इस दौरान राज्य के सेवकों अर्थात् पुलिस कर्मियों द्वारा उस व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जाता हो तो ऐसी दशा में राज्य को अपने सेवकों द्वारा किए गए उक्त दोषपूर्ण कार्य के लिए उस नागरिक को प्रतिकर देना होगा।

4. सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 सीआरएलजे 1099 सिटिजन फॉर डेमोक्रेसी बनाम आसाम राज्य 1993 एसमसीसी 743 हथकड़ी का प्रयोग

इन विधि व्यवस्थाओं में मानसुप्रीम कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया है कि गिरफ्तारी के समय हथकड़ी का प्रयोग किन परिस्थितियों में होगा।

5. दिलीप कुमार बसु (डी०के० बसु) बनाम बंगाल राज्य 1997 एससीसी 642 जोगेन्द्र कुमार बनाम उ०प्र० राज्य 1994 सीआरएलजे 1981 मानवाधिकार

इन विधि व्यवस्थाओं में मानसुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार के संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है।

6. विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान (एआईआर 1997 उच्चतम न्यायालय)

कामकाजी महिलाओं का उत्पीड़न रोके जाने विषयक कामकाजी महिलाओं का उत्पीड़न न किए जाने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश।

- नोट – 1. उद्देश्य मौलिक अधिकारों की संवैधानिक योजना के परिदृश्य से अवगत कराना है।
 2. प्रशिक्षण की समाप्ति पर अधिकारी पुलिस कार्य हेतु मौलिक अधिकारों की पवित्रता को समझने में योग्य होना चाहिये और उसे इन मुद्दों पर दृष्टि रखने के लिए उत्तरदायी संवैधानिक प्राधिकारियों की जानकारी होनी चाहिए।

परिशिष्ट-०९
स्थानीय एवं विशेष कानून

कालांश-140

अंक-150

केन्द्र के प्रमुख एकट

1. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
2. बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986
3. न्यूनतम मजदूरी (वेतन) अधिनियम, 1948
4. बन्धित श्रम व्यवस्था (उन्मूलन), अधिनियम, 1976 धारा 2 से 9, 22
5. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006
6. विद्युत अधिनियम-2003 धारा 135 से 157 तक
7. भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989
8. पुलिस अधिनियम, 2007
9. पुलिस बल (अधिकारों का निर्बचन) अधिनियम, 1966
10. पुलिस (द्रोह उद्दीपन) अधिनियम, 1992
11. शासकीय गोपनीयता अधिनियम
12. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
13. राष्ट्रीय अनुसंधान एजेन्सी अधिनियम (एन0आई0ए0एकट)
14. न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971
15. किशोर न्याय (बालकों की देख रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 तथा संशोधित अधि० 2006 (किशोर उपचार विषय हेतु)
16. प्रोबेशन ऑफ ऑफेन्डर्स एकट, 1958 (दण्ड विज्ञान विषय हेतु)
17. अनैतिक व्यापार (निवारण), अधिनियम, 1956 (दुर्गुण विषय हेतु) तथा 1986
19. स्वापक द्रव्य एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61 वाँ) (दुर्गुण विषय हेतु)
20. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (घूस एवं भ्रष्टाचार विषय हेतु)
21. आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1932
22. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1985 (महिलाओं के विरुद्ध अपराध विषय हेतु)
23. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005
24. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं संशोधित अधि० 2015
25. शस्त्र अधिनियम, 1959
26. विस्फोटक अधिनियम, 1884 (आतंकवादियों से सम्बन्धित अपराध विषय हेतु)
27. विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (आतंकवादियों से सम्बन्धित अपराध विषय हेतु)
28. विधि विरुद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967
29. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 सम्पूर्ण
30. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972
31. मोटर वाहन अधिनियम, 1988
32. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
33. सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति निवारण अधिनियम, 1984(भीड़ एवं अवैध समूह विषय हेतु)
34. तार यंत्र सम्बन्धी तार (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम 1985 सम्पूर्ण
35. रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम 1966 सम्पूर्ण
36. प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 (कॉपी राइट एकट) धारा 2,3,14,52ए,63, 63क, 64, 65, 68क
36. चलचित्र अधिनियम 1952-धारा 2, 5क, 6क, 7, 10, 11, 13, 14
38. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993-सम्पूर्ण
39. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000-सम्पूर्ण तथा संशोधित अधिनियम 2008
40. राष्ट्रीय गरिमा के अपयनन का निवारण अधिनियम 1971-सम्पूर्ण
41. मानव अंगों का प्रत्यारोपण अधिनियम 1994-सम्पूर्ण

42. धन शोधन अधिनियम—2002
43. गर्भ धारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग यचन प्रतिषेध) अधिनियम 1994
44. राज्य द्रोहात्मक सभाओं का निवारण अधिनियम 1966—धारा 2, 3, 5, 6, 8
45. बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम—2012
46. गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम—1971
47. महिलाओं का अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध अधिनियम—1986)
48. आवश्यक वस्तु अधिनियम—1955
49. विदेशी विषयक अधिनियम—1946

नोट:- प्रवक्ताओं द्वारा नवीनतम संशोधनों/केस लॉ का विशेष उल्लेख किया जायेगा।

राज्य के प्रमुख एक्ट

1. बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981
2. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993
3. बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981
4. बिहार ध्वनि विस्तारक उपयोग और वाहन नियंत्रण अधिनियम, 1955
5. बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976
6. बिहार उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2006
7. डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम, 1999
8. दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) अधिनियम, 1975
9. बिहार सामूहिक जुर्माना (अधिरोपण) अधिनियम, 1982
10. बिहार धुम्रपान प्रतिषेध (प्रदर्शन गृह) अधिनियम, 1954
11. बिहार सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1954
12. बंगाल सार्वजनिक द्युत (जुआ) अधिनियम, 1867
13. दंड प्रक्रिया संहिता (बिहार संशोधन) अधिनियम, 1976
14. दंड प्रक्रिया संहिता (बिहार संशोधन) अधिनियम, 1983
15. दंड प्रक्रिया संहिता (बिहार संशोधन) अधिनियम, 1984
16. नवीन बिहार उत्पाद अधिनियम 2015 तथा 2016
17. बिहार आवश्यक सेवाएँ बनाए रखने का अधिनियम, 1947
18. ग्राम चौकीदारी अधिनियम, 1870
19. बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2016

परिशिष्ट-10
विधि विज्ञान एवं विधि औषधि

कालांश-80

अंक-100

ए-विधि विज्ञान

- 1-विधि विज्ञान एवं अपराध अनुसंधान में इसकी भूमिका
- 2-विधि विज्ञान प्रयोगशाला एवं अन्य विशेषज्ञ संस्थान एवं पुलिस कार्य में उनकी उपयोगिता। विशेषज्ञ राय के सम्बन्ध में कानून (साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 से 48, द०प्र०सं० की धारा 293)
- 3-घटना स्थल का दृश्य और इसका रक्षण एवं परीक्षण
- 4-भौतिक साक्ष्य और इनका महत्व। घटना स्थल पर भौतिक सूत्रों को पहचानना व एकत्रित करना, भौतिक पदर्शों का उठाना, पैक करना, लेवल लगाना एवं परिवहन करना
- 5-अगुच्छ छाप, महत्व, वर्गीकरण, छाप के प्रकार, एकत्रित करना (उठान और फोटोग्राम लेना), अभिलेखन करना (दस डिजिट एवं एकल डिजिट अभिलेख), पहचानना एवं हथेली की छाप (प्रणाली-व्याख्यान एवं प्रदर्शन)
- 6-पद छाप-महत्व, स्थल पहचानना, एकत्रीकरण, पहचानना, तलुओं और जूतों की छाप (प्रणाली-व्याख्यान एवं प्रदर्शन)
- 7-पहचानना-बाल, रेशा, कपड़ा; खून, वीर्य एवं अन्य द्रव्य; मिट्टी, मैल एवं धूल; टायर एवं फिसलन के निशान, शीशा एवं पेन्ट; जलावशेष (प्रणाली-व्याख्यान एवं प्रदर्शन)
- 8-अभिलेख-समस्यायें एवं सिद्धान्त, जालसाजियाँ, मिटाया जाना, परिवर्तन किया जाना, जोड़ा जाना, विलुप्त किया जाना, जाली मुद्रा एवं सिक्के, हस्तलेख, टंकित लेख, प्रिन्टिड लेख, पेपर एवं स्याही
- 9-विलुप्त निशानों, टूल निशानों, मैकेनिक विश्लेषण का पुर्नस्थापन (प्रणाली-व्याख्यान एवं प्रदर्शन)
- 10-एल्कोहल, दवायें, स्वापक द्रव्य/पदार्थ एवं जहर
- 11-खून-जानवर और मानव-खून समूह
- 12-डीएनए एवं अनुसंधान में इसका महत्व
- 13-अस्त्रक्षेप विज्ञान (बैलेस्टिक्स)-आग्नेयाशस्त्र, कारतूस, बुलेट, फायर की दूरी गन शोट रैजीड्यू काला पड़ना और टैटू बनना, फायरिंग पिन की छाप, इक्सट्रैक्टर एवं इजैक्टर के निशान, काला पड़ना और टैटू बनना। विस्फोटक एवं आईईडी (इम्प्रोबाईज़ड इक्सप्लोसिव डिवाइसिज) की प्रकृति एवं प्रकार। (प्रणाली-व्याख्यान एवं प्रदर्शन)
- 14-इन्फारेड, अल्ट्रावाइलेट एवं एक्स-रेज, भौतिक सामग्री (साक्ष्य) ढूढ़ने एवं अनुसंधान में इनका प्रयोग एवं महत्व (प्रणाली-व्याख्यान एवं प्रदर्शन)
- 15-फोटो में परिवर्तन
- 16-भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अन्तर्गत ट्रेप के मामलों में रेगों एवं रसायनों का प्रयोग (प्रणाली-व्याख्यान एवं प्रदर्शन)
- 17-अनुसंधान के मनोवैज्ञानिक उपकरण जैसे-नारकोऐनेलेसिक, ब्रेन मैपिंग एवं लाइटिटेक्शन
- 18-पुलिस कार्य में फोटोग्राफी, घटना स्थल, लेबोरेटरी की एवं न्यायालय कार्य के अन्तर्गत फोटोग्राफी (प्रणाली-व्याख्यान एवं प्रदर्शन)
- 19-संदिग्ध का कम्प्यूटर आधारित चित्रण/चित्र तैयार करना (प्रणाली-व्याख्यान एवं प्रदर्शन)
- 20-विधि विज्ञान प्रयोगशाला/विशेषा हेतु पत्र/ज्ञापन तैयार करना एवं अग्रसारित करना (प्रणाली-व्याख्यान एवं प्रदर्शन)
- 21-फिंगर प्रिन्ट्स का कम्प्यूटराइजेशन, इन्डेक्सिंग, डाटाबैंक, कास चैकिंग करना तथा राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरों द्वारा विकसीत आटोमेटेड फिंगर प्रिन्ट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम।
 - नोट-व्याख्यान/दृश्य-श्रव्य सामग्री/केस स्टडी/प्रयोगशाला भ्रमण/व्यावहारिक प्रदर्शनों को अध्यापन प्रणाली के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। उद्देश्यक है कि अधिकारी अपराधों की अनुसंधान में उपलब्ध वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करने की जानकारी हासिल कर ले।

परिशिष्ट-10A

विधि चिकित्सा शास्त्र(फारेन्सिक मेडिसिन)

कालांश-40

अंक-50

- 1—पुलिस कार्यों मे विधि चिकित्सा शास्त्र का क्षेत्र (स्कोप) एवं महत्व
 - 2—मेडिकोलीगल साक्ष्य के दृष्टिकोण से घटना स्थल का निरीक्षण
 - 3—यातायात एवं अन्य दुर्घटनाओं से होने वाली चोटों सहित घावों के प्रकार:—
 - अग्नि दाह
 - बन्दूक की गोली/छर्चा-प्रवेश एवं निकास घाव
 - 4—मृत्यु के कारणों एवं मृत्यु के पश्चात व्यतीत समय पर बल देते हुए मेडिकोलीगल पहलू
 - 5—हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना एवं सवाभाविक (प्राकृतिक) मृत्यु
 - 6—श्वासावरोध—फासी लगाकर मृत्यु, दम घुटने से मृत्यु, श्वांस रोध, गला धोंटकर मृत्यु और झूबकर मृत्यु
 - 7—मृत व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के तरीके:—
 - उत्खनन, पोस्ट मार्ट्स परीक्षण, क्षत-विक्षत मृत शरीर का परीक्षण
 - अस्थि अवशेष और लिंग एवं आयु का निर्धारण
 - 8—यौन अपराध—बलात्कार, अवैध गर्भपात एवं बाल हत्या
 - 9—आयु निर्धारण सहित जीवित व्यक्तियों की पहचान स्थापित करने के तरीके
 - 10—अपराध (जीवित एवं मृत शरीर) कारित करने हेतु भरत मे साधारणतः प्रयोग मे लाये जाने वाले जहरों का मेडिकोलीगल पहलू
 - 11—पोस्टमार्ट्स एवं मेडिकोलीगल आख्यायों मे सामान्यतः प्रयोग किये जाने वाले शब्द
 - 12—घायलों एवं लाशों का परिवहन
 - 13—पोस्टमार्ट्स एवं मेडिकोलीगल परीक्षण मे सामान्यतः प्रयुक्त विभिन्न शब्द/शब्दावली
 - 14—घारदार हथियार द्वारा, नुकीले हथियार द्वारा, आगेयास्त्र से, जलने से, बारूद से आई चोटों का मेडिकोलीगल दृष्टि से ज्ञान।
- नोट— उपरोक्त विषयों का प्रशिक्षण दिये जाते समय व्याख्यान, दृश्य-श्रव्य सहायकों और केस स्टडी प्रणाली का प्रयोग किया जाना चाहिए।

परिशिष्ट-11

07. अनुसंधान

कालांश-135

अंक-150

1—अनुसंधान का परिचय, अनुसंधान में सामान्य सिद्धान्त एवं चरण

- अनुसंधान अधिकारी की सार दक्षतायें/कौशल
- सूचना एवं अनुसंधान कानूनी पहलू
(द०प्र०सं० की धारा 154 से 176, राज्य पुलिस नियमों के सुसंगत उपबन्ध)

2—अपराध का पंजीकरण एवं अपराध स्थल:

- प्रथम सूचना रिपोर्ट का तैयार किया जाना (द०प्र०सं० की धारा 154 एवं 155) व्यवहारिक अभ्यास सहित
- आपराधिक कार्यवाहियों का स्थल: निरीक्षण और अपराध घटना स्थल का रक्षण—वैज्ञानिक विशेषज्ञ द्वारा अपराध घटना स्थल का भ्रमण
- अभिलेखन—फोटोग्राफी—स्कैच बनाना—नोट करना—साक्ष्यों की पहचान कर स्थिति निर्धारित करना
- भौतिक साक्ष्यों को उठाना, पैक करना, लेवल करना, लेवल लगाना और सील बन्द करना, परामर्श हेतु पत्र एवं प्रदर्शों को अग्रसारित करना
- प्रदर्शों की अभिरक्षा की कड़ी को बनाये रखना एवं विचारण न्यायालय के सम्मुख उन्हें प्रस्तुत करना।

3—मौखिक साक्ष्य का एकत्रीकरण

- साक्षीण, संदिग्धों एवं अभियुक्तों का परीक्षण दृश्य श्रव्य रिकॉर्डिंग सहित
(द०प्र०सं० की धारा 160 से 164, 171, 306 से 308। साक्ष्य अधिनियम धारा 24 से 30, 32(1)। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 20(3) 22(1) एवं (2))
- पूछताछ/संज्ञानात्मक साक्षात्कार के सिद्धान्त एवं तकनीकियाँ
- संस्वीकृति:—न्यायिक गैर न्यायिक (कानून के सुसंगत प्रावधान), मृत्यु कालिक कथन का अभिलेखन (रिकॉर्डिंग) (कानून की सुसंगत धारायें एवं नियम), स्वीकृति
- अनुसंधान में प्रयोग किये जाने वाले मानक प्रारूप, सीसीटीएनएस
- प्लॉन ड्राइंग

4—अभिलेखीय साक्ष्यों, सम्पत्ति एवं भौतिक वस्तुओं का एकत्रीकरण:— तलाशी एवं जप्ती—जप्ती सूची की तैयारिया (धारा 99,100,102,165 एवं 166 द०प्र०सं०—धारा 61 से 90 भा०सा०अधि०) जप्ती मैमो, तलाशी मैमों आदि

5—पंचनामा (धारा 174 से 176 द०प्र०सं०)—पंचनामा रिपोर्ट का तैयार किया जाना (निर्धारित प्रारूप में)— राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के आदेश एवं निर्देश

6—शिनाख्ता—शारीरिक विशेषताओं का अभिलेखन किया जाना, एक व्यक्ति की शिनाख्त के सम्बन्ध में सिद्धान्त—व्यक्ति एवं सम्पत्ति की टेस्ट शिनाख्त परेड (कैदी की शिनाख्त अधिनियम की सुसंगत धारायें)—पूर्ववत् सत्यापन (राज्य पुलिस नियमों के सुसंगत प्रावधान)

7—केस डायरी (द०प्र०सं० धारा 172)—किया पद्धति केस डायरी लिखना, साक्ष्य चार्ट एवं साक्ष्य मैमों, धारा 161 द०प्र०सं० के अन्तर्गत बयान लिखना।

8—व्यक्ति एवं स्थान की निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, कॉल डिटेल रिपोर्ट का विश्लेषण

9—गिरफ्तारी—अभिरक्षा—रिमांड—जमानत। अभिरक्षा मैमों का तैयार किया जाना—आख्या का अग्रसारण—(धारा 41 से 60, 167, 436,439 द०प्र०सं०), गिरफ्तारी मैमों, रिमांड प्राथना पत्र, जमानत बंध पत्र, सूचना शीट,

धारा 160 द०प्र०सं० के अन्तर्गत नोटिस, हथकड़ी का प्रयोग एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत निर्देश

10—आरोप पत्र एवं अन्तिम रिपोर्ट दाखिल करना। अनुसंधान के सम्बन्ध में सुसंगत अभिलेख/थाने के रजिस्टरों में प्रविष्टियाँ। थाना अभिलेख/साफ्टवेयर, जिला अपराध अभिलेख शाखा, एससीआरबी, एनसीआरबी एवं अनुसंधान के दौरान एमओबी से सहायता। क्षमा प्रदान किये जाने एवं अपूर्व सम्बन्धी प्रक्रिया। प्रत्यार्पण सम्बन्धी प्रक्रियायें। विचारण अनुश्रवण व्यवस्था। केस के अन्तिम निर्णय के

उपरान्त न्यायालय की अभिरक्षा में रखे हुए अभिलेख एवं नकदी का उन्मुक्त किया जाना। मनःस्वापक एवं निषिद्ध द्रव्यों का विचारण के पूर्व निस्तारण।

11-(अ) विशिष्ट अपराधों की अनुसंधान :-

- गृह भेदन
- लूट एवं डकैती
- जहरखुरानी
- बलात्कार
- बलवा
- हत्या
- हिट एण्ड रन केस
- आगजनी
- जलाकर दहेज हत्या
- अपहरण
- वाहन चोरी
- एनडीपीएस एकट के अपराध
- गबन बैंक, इन्स्योरेंस, वाणिज्य, डाकघर, रेलवे में घोखाधड़ी व प्रतिरूपण करने छल।
- लोकसेवक की पोशाक या टोकन धारण करके छल करना।
- रेलवे एकट एवं रेलवे सम्पत्ति से संबंधित अपराध
- आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जमाखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी।
- अपराधियों को विदेशों से बुलाने का ज्ञान।

(ब) अभियोजन:-

- जिला न्यायिक व्यवस्था व मुकदमों की पैरवी।
- विभिन्न न्यायालयों की शक्ति व कार्य विभाजन।
- जिला अभियोजन से संबंधित पदाधिकारियों एवं इनके कर्तव्य
- रिमाण्ड व जमानत की प्रक्रिया एवं सुनवाई।
- अभियोगों का सत्र न्यायालय में सुपुर्दगी/पैरोल की प्रक्रिया।
- अपील करने की प्रक्रिया (कुछ के लों दिये जायें जिसमें सत्र न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा बरी किये जाने के बाद भी उच्चतम न्यायालय द्वारा सजा दे दी गई अथवा बढ़ा दी गई)
- गवाहों की समस्याओं और उनका निराकरण।

12— अनुसंधान में व्यवहारिक अभ्यास—अपराध स्थल अनुरूपरण—देखभाल परीक्षण, पुलिस पोट्रेट

- उद्देश्य प्रशिक्षकों को वैज्ञानिक एवं कानून सम्मत अनुसंधान की कला से सुसज्जित करना है। व्याख्यान/दृश्य-श्रव्य/केस स्टडी/अनुरूपण अभ्यास एवं फील्ड भ्रमण जैसी क्रिया पद्धति का प्रयोग करते हुए अनुसंधान में विभिन्न चरणों को कमबद्ध तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। प्रशिक्षण की समाप्ति पर अधिकारी अपराध की अनुसंधान स्वतंत्र रूप से कर सकने हेतु विश्वास से परिपूर्ण होना चाहिए अनुसंधानकर्ता की हैसियत से दं.प्र.सं. के प्रावधानों के साथ-साथ राज्य पुलिस नियमों/ विनियमों के सुसंगत प्रावधानों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

परिशिष्ट-12
पुलिस थाना प्रबन्धन एवं अपराध नियंत्रण

अंक-100

कालांश-105

1-थाने के सामान्य कार्य :-

पुलिस थाना- अपराधों की रोकथाम एवं कानून व्यवस्था के रख-रखाव के सन्दर्भ में पुलिस स्टेशन के दैनिक किया-कलापों की मोटी-मोटी विशेषताएँ। थाने के प्रभारी अधिकारी के दायित्व एवं शक्तियाँ। थाने के मानव एवं भौतिक संसाधनों के प्रबन्धक के रूप में भूमिका एवं विभिन्न पण्डारियों (स्टेकहोल्डर्स) की आवश्यकताओं एवं उत्तरदायित्व के प्रति अनुकिया (रिसपोन्स)। अवर निरीक्षकों एवं सहायक अवर निरीक्षकों आवश्यकताओं एवं उत्तरदायित्व के प्रति अनुकिया (रिसपोन्स)। राजकीय भवन एवं थाना के दायित्व। थाने पर सिपाहियों/मुख्य सिपाहियों के कार्यों का पर्यवेक्षण। राजकीय भवन एवं थाना के सम्पत्तियों का रख-रखाव-आम्स एम्बूनेशन की देख-भाल एवं अभिरक्षा। थाने में लॉकअप का रख-रखाव एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशों के अनुरूप अभियुक्तों को सुरक्षित ले जाना। केस सम्पत्ति का रख-रखाव एवं निस्तारण। पुलिस कर्मियों एवं उनके परिवारजनों का कल्याण।

➤ थाने के अभिलेखों एवं रजिस्टरों का रख-रखाव :-

थाना अभिलेख:-विभिन्न रजिस्टर एवं उनकी उपयोगिता। राज्य पुलिस नियमों/विनियमों के अनुसार थाने पर अभिलेखों एवं रजिस्टरों के रख-रखाव के संबंध में सामान्य नियम। विभिन्न अभिलेखों एवं रजिस्टरों में प्रविष्टियाँ अंकित करने की प्रक्रिया।

2-अपराध की रोकथाम:-

अपराध की रोकथाम:- तकनीकें एवं रणनीतियाँ। बीट एवं गश्त उद्देश्य एवं प्रक्रिया-शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में बीट पद्धति-योजना, फैलाव (डिपलायमेंट) एवं पर्यवेक्षण, इलैक्ट्रॉनिक बीट का परिचय। आपराधिक अभिसूचना का एकत्रीकरण-पुलिस को सूचना देने का हेतु (मोटिव)-सूचना के अभिलिखित स्रोत-मुखबिरों का फैलाव एवं रख-रखाव/सूचना देने वाले एवं अभिकर्तागण क्या करें क्या न करें-आपराधिक अभिसूचना के एकत्रीकरण की सहायता में नागरिक सहयोग। आपराधिक अभिसूचना का विकीर्णन (डिसेमिनेशन)

3-निगरानी –उद्देश्य एवं तकनीकें

4- कानूनी प्राविधान एवं प्रक्रियाँ-निगरानी के तौर तरीकों पर न्यायालय के निर्देश ग्राम भ्रमण एवं अपराध की रोकथाम में इसका महत्व।

5-धारा 106, 107, 109, 110, 133, 145, 150 एवं 151 द०प्र०सं० के अन्तर्गत रोकथाम के उपाय एवं रोकथाम की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने के लिये रिपोर्ट का बनाया जाना।

6-हिस्ट्रीशीट-व्यक्तिगत पत्रावली व दुष्प्रियता लेख का बनाया जाना। गुहार(हयू एवं काई) नोटिस, अजनबी नामावली, सूचनाशीट आदि।

7- पैरोल उल्लंघन कर्ताओं से व्यवहार (द गुड कन्डक्ट ऑफ प्रिजनर्स प्रोबोसन रिलीज एक्ट नम्बर-10, 1926 धारा- 2 से 8)

8-जमानत उल्लंघन कर्ताओं एवं घोषित अपराधियों के साथ व्यवहार (थाना अभिलेख एवं प्रक्रियाँ)

9-डकैती एवं गृहभेदन जैसे अपराध के विशेष प्रकारों की रोकथाम

10-जमानत का निरस्तीकरण

11-अपराध के माध्यम से प्राप्त की गयी सम्पत्ति की जप्ती (एनडीपीएस एक्ट और प्रीवेंशन और मनी लौन्ड्रिंग एक्ट के प्राविधान एवं पीएमएलए में पुलिस की भूमिका)

12-अपराध एवं अपराधियों के अभिलेख :-

➤ गैंग रजिस्टर एवं गैंग केसेज

➤ अपराध एवं अपराधियों की कार्य पद्धति

- आवश्यकता एवं महत्व—पुलिस थाना अभिलेख, डीसीआरबी, एससीआरबी, एनसीआरबी, इन्टरपोल
- अपराध अभिलेख प्रबन्धन एवं कम्प्यूटर अभिलेख सहित इनकी उपयोगिता, अपराध की रोकथाम एवं सीसीटीएनएस

13—काइम मैपिंग

14—अपराध की रोकथाम में सहायता के लिये सामुदायिक पुलिसिंग

3—वायरलेस दूर संचार—

- परिभाषा
- आधार भूत धारणायें एवं दूर संचार नेटवर्क का महत्व
- प्रयोग किये जाने वाले उपकरणों के प्रकार
- डब्ल्यूएन का महत्व एवं कार्य
- ध्वन्यात्मक वर्णमाला
- कुछ महत्वपूर्ण आदेश वाक्यांश
- दूरसंचार संवाद के क्या करें व क्या न करें
- सन्देशों की प्राथमिकता
- वायरलेस सेटों की हैण्डलिंग, पुलिस वायरलैस सेटों/सिस्टम में आने वाली सामान्य कमियाँ एवं उनका निराकरण।
- हैण्ड हैल्ड एवं स्टेटिक्स मोबाइल वायरलैस सेटों पर वार्ता करने का व्यवहारिक प्रशिक्षण।
- संदेश—लेखन एवं वर्गीकरण
- नियन्त्रण कक्ष एवं पुलिस मोबाइल—सीसीआर, डीसीआर की कार्य प्रणाली
- दूरसंचार में आधुनिक पद्धतियाँ
- एच.एफ., इलेक्ट्रॉनिक टेली प्रिन्टर, आर०टी०वाई०, सैटेलाइट कम्प्यूनिकेशन(पोलनेट), आप्टिकल फाइबर आदि।

परिशिष्ट-13

लोक शान्ति एवं व्यवस्था का रख रखाव

कालांश-100

अंक-100

भाग-I भीड़ एवं अवैध जमाव

कालांश-30

अंक-40

- 1—भीड़ मनोविज्ञान एवं व्यवहार, संयुक्त उत्तरदायित्व, सामान्य आशय, अवैध जमाव
- 2—भीड़ नियन्त्रण के सिद्धान्त, विभिन्न प्रकार के आन्दोलन कार्यों से निपटने में पुलिस प्रवृत्ति, अभिसूचना संग्रह परामर्श एवं मध्यस्थता। अफवाहें। कानून व्यवस्था की स्थितियों की प्रत्याशा। महिलाओं, छात्रों, श्रमिकों किसानों आदि के आन्दोलनों से निपटने में विशेष समस्यायें। थाना की दंगा नियन्त्रण योजना का ज्ञान। भीड़ नियन्त्रण के सम्बन्ध में निरोधात्मक कार्यवाही के प्राविधान।
- 3—मेलो एवं त्यौहारों हेतु प्रबन्ध
- 4—बल प्रयोग और हिंसक भीड़ से निपटने के कम घातक तरीके
- 5—दंगारोधी योजनाओं के मोटे—मोटे सिद्धान्त
- 6—गति, आदेश एवं नियन्त्रण की समस्यायें
- 7—होमगार्ड्स, पारामिल्ड्री बलों की नियुक्ति के मोटे सिद्धान्त; समन्वय एवं सहयोग के तरीके।
- 8—साम्राज्यिक समस्याओं से निबटना।
- 9—न्यायिक जांचे—कमिशन ऑफ इन्क्वायरीज एक्ट 1952 के मुख्य विशिष्टतायें। पुलिस के सम्बन्ध में जाँच आयोगों के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय
- 10—चुनाव प्रबन्धन
- 11—प्राकृतिक आपदायों, महत्वपूर्ण दुर्घटना आदि द्वारा उत्पन्न संकट को संभालना।
- 12—आपदा प्रबन्धन में पुलिस की भूमिका
- 13—आपदा राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तरीय नीति व योजनायें
- 14—आपदा प्रबन्धन के सम्बन्ध में अन्य विभागों से सामंजस्य
- 15—आपदा प्रबन्धन में गैर सरकारी संस्थाओं (एनोजीओ) की भूमिका
- 16—राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध अधिनियम (नेशनल डीजास्टर मैनेजमेंट एक्ट)
- 17—बचाव एवं राहत कार्य के दौरान—प्राकृतिक आपदायें जैसे बाढ़, भूकम्प, चक्रवात, भूस्खलन, तूफान, अतिवृष्टि आदि के समय कार्ययोजना एवं उत्तरदायित्व।
- 18—बाढ़ राहत कार्य में पुलिस एवं बीएमपी की भूमिका
- 19—अन्य आपदायें/बड़ी दुर्घटनायें—विस्फोट, अचानक भवन गिरना, औद्योगिक दुर्घटना, भगदड इत्यादि के दौरान कार्ययोजना एवं उत्तरदायित्व
- 20—सड़क, रेल एवं वायु दुर्घटनाओं के समय कार्ययोजना एवं पुलिस का उत्तरदायित्व
- 21—आग की घटनायें—अग्निशमन/बचाव कार्य
- 22—गम्भीर दुर्घटनाओं/आपदाओं के दौरान घटित होने वाले सामान्य अपराध तथा उसके नियन्त्रण हेतु पुलिस कार्यवाही

भाग-II सुरक्षा

कालांश—20

अंक—20

ए—आन्तरिक सुरक्षा

आन्तरिक सुरक्षा का परिचय, प्रचलित परिदृश्य, गैरपराम्परागत आन्तरिक सुरक्षा बिन्दुओं जैसे पर्यावरण सम्बन्धी मामले आदि सहित आन्तरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियाँ एवं सम्बद्ध शाखाएं –

1—आन्तरिक सुरक्षा योजना और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही के लिए रिपोर्टस का बनाया जाना।

2—बामपन्थी अतिवादी, युद्ध प्रियता, राजद्रोह, आतंकवादी गतिविधियों और धार्मिक कट्टरवादिता सहित विभिन्न प्रकार के अतिवाद (केस अध्ययनों पर विचार विमर्श)

3—आतंकवाद, राजद्रोह एवं बामपन्थी अतिवाद से निपटने के निरोधी उपाय, रणनीति और सामरिक चालें।

4—आन्तरिक सुरक्षा के सम्बन्ध में अभिसूचना का संग्रह (सफल एवं असफल मामलों की केस अध्ययन)

5—शहरी आतंकवाद, बंधक स्थितियाँ, अतिवाद एवं राजद्रोह से निपटना।

6—आतंकवाद निरोधी एवं राजद्रोह निरोधी अभियान।

बी—वी0आई0पी0 सुरक्षा

कालांश—20

अंक—20

1—अग्रिम सुरक्षा लायजन, प्रवेश नियंत्रण एवं टोडफोड विरोधी परीक्षण सहित वीआईपी सुरक्षा के सामान्य सिद्धांत।

2—वी0आई0पी0 के लिए सुरक्षा प्रबन्धः—

- ❖ ठहरने के स्थान पर
- ❖ सार्वजनिक सभा में
- ❖ कानवाय प्रबन्ध सहित सड़क पर आवागमन के समय
- ❖ हैलिपैड/एयरपोर्ट पर

3—महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों एवं संवेदनशील बिन्दुओं की सुरक्षा।

4—सुरक्षा सम्बन्धित उपकरणों का प्रयोग।

भाग—III यातायात प्रबंधन

अंक—20

कालांश—30

ए—आंतरिक सुरक्षा

- 1—यांत्रिकी, शिक्षा एवं प्रवर्तन सहित यातायात प्रबंधन की आवधारणा एवं तकनीकें।
- 2—यातायात पुलिस के संगठन एवं कार्य—
- 3—सड़क सुरक्षा शिक्षा:— यातायात नियंत्रण उपकरण, सड़क चिन्ह, सड़क निशान, गति अवरोधक, यातायात संकेत, क्षेत्र यातायात नियंत्रण व्यवस्था, पर्यावरण अवरोधों को हटाया जाना।
- 4—यातायात कानूनों प्रवर्तन में प्रयोग किये जाने वाले उपकरणों— रडार गन, स्वांश विश्लेषक, धुरी भार, तोलना, स्वतः निकास उत्सर्जन विश्लेषक आदि को सम्भालना।
- 5—यातायात ड्रिल—यातायात नियंत्रण के सिद्धांत, हस्तड्रिल द्वारा मानवीय नियंत्रण, सड़क ड्रिल के माध्यम से द्वि, त्रयी व बहुखण्डीय यातायात नियंत्रण।
- 6—मोटरवाहन दुर्घटनाएँ—दुर्घटना पीड़ित को प्राथमिक सुरक्षा, आवागमन रेखा, प्रतिक्रिया समय, स्किड चिन्ह, एवं फोरेन्सिक साक्ष्य, कारण एवं रोकथाम, दुर्घटना डाटा की रिपोर्टिंग/रिकार्डिंग एवं विश्लेषण यातायात कानून एवं नियम महत्वपूर्ण यातायात उल्लंघनों के लिए चालान का तैयार किया जाना थर्ड पार्टी बीमा, मोटर दुर्घटना दावे, मुआवजा योजना, 1989 सड़क शिष्टाचार।
- 7—वाहनों में लाल एवं नीली फ्लैश/बत्ती तथा हूटर व सायरन के प्रयोग करने सम्बन्धी नियमों का ज्ञान एवं प्रयोग करने हेतु अधिकृत गणमान्य व्यक्तियों/अधिकारियों की जानकारी।
- 8—वाहनों का पंजीकरण एवं नियंत्रण
- 9—वाहनों का दुर्घटना बीमा एवं योजनाएँ।
- 10—अन्तः कक्षीय एवं वाह्य कक्षीय शिक्षण को जोड़ते हुए अनुरूपण अभ्यासों का प्रबन्ध किया जाना चाहिए

परिशिष्ट-14

अपराध शास्त्र

कालांश-40

अंक-50

1—अपराध की अवधारणा, अपराध एवं अपराधियों के प्रकार एवं अपराध की रोकथाम में पुलिस की भूमिका—

2—अपराध शास्त्र में सिद्धान्तों का परिचय

3—अपराध के कारक—मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, राजनैनिक एवं सामाजिक किशोर अपचार-कारण और किशोर अपचारियों के सुधार में पुलिस की भूमिका

4—पथ विचलन—व्यक्तिगत एवं सामूहिक संगठित अपराध, सफेदपोश अपराध

5—दुर्गुण—जुआखोरी, शराबखोरी, वेश्यागमन, पुर्नवास, नशाखोरी एवं नशामुक्ति, दण्ड शास्त्र की परिभाषाएँ एवं निवारण, अपराध शास्त्र एवं दण्ड शास्त्र का संबंध। दण्ड—आवश्यकता, दण्ड शास्त्र दण्ड के सिद्धान्त, जेल दण्डात्मक एवं सुधारात्मक सिद्धान्त, परिवीक्षा, पैरोल सुधारात्मक संस्थायें एवं सुधारात्मक प्रशासन एवं सामाजिक पुनः निर्माण

6—अपराध व्यसन

7—अपराधिक न्याय प्रणाली—अन्तर संगठनात्मक समन्वय एवं सहयोग।

8—पीड़ा शास्त्र—अवधारणा एवं उपदेश, मुआवजा, पुर्नवास, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं एवं समाजिक सुधार कार्यों में लगे हुए समूहों के साथ समन्वय एवं सहयोग।

9—देश में कारागार प्रणाली, उद्भव एवं विकास, खुला कारागार, उपचार एवं अपराध की पुनरावृत्ति पर नियंत्रण।

10—बाल अपराध— प्रकार एवं कारण

11—बाल न्यायालय, बाल कल्याण बोर्ड, बाल गृह, विशेष विद्यालय, पर्यवेक्षण गृह, परिवीक्षा अधिकारियों के कर्तव्य, बोस्टल संस्तुति, बाल न्यायालय की कार्य प्रणाली, विशेषतायें व आपराधिक न्यायालयों से भिन्नता।

➤ उद्देश्य प्रशिक्षुओं को अपराध के प्रेरक कारकों, अपराधिक मनोविज्ञान और सुधारात्मक तकनीकों के महत्व को समझाना है। सिद्धांत सम्बन्धी निर्देशों से बोझिल करने के बजाय क्षेत्र में प्राप्त अनुभवों के विस्तार वर्णन पर बल दिया जाना चाहिये।

परिशिष्ट-15
अनुसंधान-प्रयोगात्मक कार्य

कालांश-100

अंक-100

- 1—अंगुल छाप का उठाना
- 2—पदछाप का उठाना
- 3—भौतिक प्रदर्शों को उठाना, पैक करना, लेबल लगाना व अग्रसारित करना
- 4—चोट के एक मामले की पूर्ण अनुसंधान
- 5—हत्या के एक मामले की पूर्ण अनुसंधान
- 6—एनडीपीएस एक्ट के एक मामले की पूर्ण अनुसंधान
- 7—चोरी के एक मामले की पूर्ण अनुसंधान
- 8—एक घातक दुर्घटना मामले की पूर्ण अनुसंधान
- 9—एक बलात्कार मामले की पूर्ण अनुसंधान
- 10—डकैती/लूट के एक मामले की पूर्ण अनुसंधान।

नोट-प्रत्येक उप-विषय के लिये 10 अंक निर्धारित है।

➤ उद्देश्य प्रशिक्षु को जब और जैसे ही उसे थाने में नियुक्त कर दिया जाता है, आत्मनिर्भर रूप से अनुसंधान कर सकने के लिये आत्मविश्वास पूर्ण महसूस करना है। अनुरूपित घटना स्थलों का निर्माण किया जाना चाहिये और समस्त कानूनी, साक्ष्य सम्बन्धी व प्रक्रियात्मक पहलुओं को शामिल करते हुए प्रशिक्षु को अपराध की आत्मनिर्भर रूप से अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किया जाना चाहिये। अनुभवी पुलिस अनुसंधान अधिकारियों के पर्यवेक्षण में प्रशिक्षु को पूर्ण अन्तिम रिपोर्ट/चालान तैयार करना चाहिये। विधि अधिकारी द्वारा ऐसी अन्तिम रिपोर्ट/चालान का बारीकी से निरीक्षण करके अनुसंधान में हुई प्रक्रियात्मक चूकों/कर्मियों को उजागर करना चाहिये।

परिशिष्ट-16
मानव व्यवहार एवं प्रबन्धन तकनीकें

अंक-45

कालांश-35

- 1—मानव व्यवहार को समझना
- 2—मानव व्यवहार एवं पुलिस की भूमिका

- व्यक्ति वैसा व्यवहार क्यों करते हैं जैसा वे करते हैं।
- अवबोधन, प्रवृत्ति एवं व्यवहार
- पूर्वाग्रह, रूढ़ियों एवं पक्षपात
- मानव व्यक्तित्व का विकास एवं एक स्थिर व्यक्तित्व की विशेषताएँ
- एक अच्छे पुलिस अधिकारी के गुण
- चिन्ता एवं चिन्ता से निपटना

3—पुलिस का जनता के साथ व्यवहार—इसका महत्व, परिवर्तन की आवश्यकता, परिवर्तन कारित करने के तौर—तरीके

4—औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह—समूह व्यवहार, छोटे समूहों के परिवर्तनशील ढोंचा(पैटर्न) एवं उनके कार्य तथा भीड़ मनोविज्ञान महत्वपूर्ण सामाजिक समूहों, महत्वपूर्ण परिस्थितियों और छात्रों एवं नवयुवकों, औद्योगिक मजदूरों, किसान असंतोष, साम्प्रदायिक, भाषायी, क्षेत्रीय संघर्षों, राजनैतिक दलों से सम्बन्धित समस्याओं को समझना।

- 5—पुलिस उप संस्कृत को समझना
- 6—पुलिस की छवि एवं सुधार के लिये पहले (ईनीशियेटिव्स)
- 7—पुलिस जनता सम्बन्ध—आवश्यकता एवं सुधार के लिये रणनीतियाँ
- 8—विभिन्न पुलिस ईकाइयों द्वारा अपनायी गयी अच्छी प्रथायें।

परिशिष्ट-16A
प्रबन्धन तकनीकें

कालांश-40

अंक-55

- 1—प्रबन्धन की अवधारणा, नेतृत्व — अवधारणा गुण एवं शैली,
- 2—प्रबन्धन भूमिकायें और प्रबन्धन कार्य
- 3—सामान्य नेतृत्व के गुण—नवप्रवर्तन और व्यक्तित्व का मूल्यांकन
- 4—संगठनात्मक व्यवहार—संवाद—मौखिक, लिखित, अशाब्दिकय कार्य सम्पादनात्मक विश्लेषणय संवाद में बाधायें एवं इन पर काबू पाने के उपाय

- सुनने की कला, संवाद में परानुभूति और प्रभावशाली मूल्यांकन (फीडबैक) देने का कौशल
- कार्यस्थल पर कोध और आक्रमकता पर नियंत्रण करना।
- समूह गतिशास्त्र और दल निर्माण
- संघर्ष/द्वन्द्व प्रबन्धन पुलिस में अनुप्रयोग हेतु प्रेरणा के सिद्धांत

5—प्रबन्धकीय कौशल

- 6—मीडिया प्रबन्धन—मीडिया के साथ व्यवहार, सामान्य सिद्धान्त एवं विधिक सन्दर्भ—मीडिया ब्रीफिंग; कसौटी एवं समग्र, क्या करें क्या न करें।

- समय प्रबन्धन
- तनाव प्रबन्धन
- आधारभूत कौशल
- अध्ययन कौशल
- लेखन कौशल
- आख्या लेखन
- कार्यालयी संवाद कौशल
- सुनने का कौशल
- सार्वजनिक बोलने का कला

- 7—आत्मचेतना—स्वयं एवं स्वयं के आयामों को समझना

- 8—कर्मिक प्रबन्धन एवं प्रदर्शन मूल्य निर्धारण

- 9—संघर्षों का प्रबन्ध करना:—अ—वरिष्ठ—अधीनस्थ ब—अन्तर—व्यैक्तिक स—अन्तर—विभागीय

- 10—पुलिस में संघर्ष समधारः—छात्रों, नवयुवकों, संगठित श्रमिकों, अतिवादियों को संभालना—वार्ता (निगोसियेशन) कौशल पुलिस में मानव संसाधन विकास, परामर्श दायी कौशल एवं अन्तर व्यैक्तिक फीड बैक, अधीनस्थों का विकास करना प्रशिक्षण एवं विकास रणनीतियाँ।

परिशिष्ट-17
कम्प्यूटर प्रशिक्षण-प्रयोग एवं उपयोगिता

कालांश-100

अंक-100

- 1—कम्प्यूटर का पुलिस विभाग में प्रयोग एवं उपयोगिता
- 2—कम्प्यूटर एवं इसके हिस्सों से परिचय—हार्डवेयर और डाटा स्टोरेज उपकरण—जैसे पैन ड्राइव आदि सॉफ्टवेयर
- 3—कम्प्यूटर के हिस्सों का केबिल कनैक्शन
- 4—विन्डों का परिचय
- 5—विन्डो एप्लीकेशन
- 6—नोट पैड
- 7—माई कम्प्यूटर
- 8—टाइपिंग ट्यूटर
- 9—एम0एस0 वर्ड का परिचय
- 10—फाईल बनाना/सेव करना/एम0एस0 वर्ड में खोलना
- 11—एम0एस0 वर्ड में एडिटिंग करना
- 12—एम0एस0 वर्ड में व्यू एवं इन्सर्ट कमाण्ड
- 13—एम0एस0 वर्ड में फर्मेट एवं टूल कमाण्ड
- 14—एम0एस0 वर्ड में टेबल और फॉन्ट सेटिंग
- 15—एम0एस0 वर्ड में प्रिन्टिंग कमाण्ड
- 16—एम0एस0 पावर प्यार्ड का परिचय
- 17—पावर प्यार्ड में स्लाइड बनाना
- 18—एम0एस0 एक्सल का परिचय
- 19—इन्टरनेट और सर्फिंग का उपयोग
- 20—सी0सी0टी0एन0एस0

Rule - Based CCTNS Application Training

1. All major functionally of registration, investigation, prosecution.
2. All major functionally of Crime, Law and Order, and Traffic
3. Search functionality and MIS reports additional guidelines
 - a. The training should focus on the users getting comfortable to use the CCTNS application.
 - b. The training is role based and would focus based on user category. A single user might get trained on different modules.
 - c. The training would cover compute life cycle of an activity and would have interconnection with different modules of application.
 - d. Training would cover basic knowledge on the application and its benefits. And also it should cover specific use/ working knowledge in depth of each module for the end user
 - e. This training should be in a role based, benchmarked and standardized format, in HINDI and lead to learning completion and assessment. It should also allow for self-learning and retraining. Training would include mechanism for demonstration using audio/video/ simulated/ demo practice exercises and evaluation of trainees.

Training Programme

PC Hardware Troubleshooting/Networking

Topics

1. Introducing PC fundamentals: Types of Computer.
2. Identify PC component/microprocessor, power supply
3. Mother board memory, input-output device.
4. Display card, audio cards, ports, stores device.
5. Networking device.
6. Laptop component, PCMCIA card, IO parts, infrared port.
7. PC start UP processes post. Troubleshooting quiz
8. Microprocessors
9. Memory
10. power supply
11. Mother board
12. Explain the working of hard disk, install, hard disk
13. Explain the formatting and partitioning of hard disk
14. Install the operating system on the hard disk
15. Install floppy, optical disk drive, trouble shooting
16. Ports key and mouse
17. Printer, modems
18. SCBI devices, video/monitors
19. Device drives, jumpers setting
20. Working with BIOS & CMOS
21. Systems utilities
22. Assembling & disassembling PC
23. Introducing to DOS
24. Windows XP professional
25. Window vista
26. Trouble shooting
27. Managing user accounts & account policies
28. IP (Class A,B,C) Cables, checking
29. Managing disk & drives
30. Trouble shooting disk, backup of data
31. Managing files & folders
32. Managing local & network printer
33. Internet explorer 7, deleting email, recover email
34. Configure outlook express, creative emails IS
35. Sending & receiving mail, downloading, listening
36. Music on net, troubleshoot internet
37. Configure data protection
38. Maintaining & optimizing window vista

39. Recovering from a computer crash
40. Managing service & registry
41. Installing of MS Office & Other S/W
42. Anti-viruses installation
43. Test

- 21—पी0बी0एस0 का परिचय एवं स्कैच
- 22—राज्य का विशिष्ट पुलिस सॉफ्टवेयर
- 23—नेटवर्किंग का परिचय—हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर
- 24—इंटरनेट—टी0सी0पी0 / आई0पी0 प्रोटोकॉल, आई0पी0 एडरेस स्कीम
- आई0टी0एक्ट0 2000 एवं अन्य अधिनियम तथा संहिताओं में संशोधन
 - साइबर अपराध एवं इंटरनेट अपराध—रोकथाम एवं अनुसंधान तथा डिजीटल साक्ष्य को समझाना
- 25—कम्प्यूटर संबंधित अपराध
- 26—ईमेल एकाउंट बनाना, ई—मेल भेजना/प्राप्त करना/फाइल डाउनलोड करना/ई—मेल ट्रैक करना
- 27—कम्प्यूटर फोरेन्सिक्स—मुद्दे एवं चुनौतियाँ
- 28—इलैक्ट्रॉनिक निगरानी तकनीकियाँ, आई0पी0 कैमरा, सेटेलाईट छवियाँ, जी0आई0एस0 / जीपीएस, आरएफआईडी तकनीक, साइबर सुरक्षा उद्देश्य प्रशिक्षुओं का कम्प्यूटर साक्षर बनाना है।
- 29—ऑन लाईन टेलीफोन डायरेक्ट्री को एक्सेस करना।
- 30—कम्प्यूटर वायरस
- कम्प्यूटर वायरस का ज्ञान
 - एन्टी वायरस प्रोग्राम का ज्ञान
- 31—पुलिस विभाग में चल रहे विभिन्न पैकेज / साफ्टवेयर
- पे—रोल
 - नामिनल रॉल
 - ट्रैफिक मैनेजमेन्ट आदि की जानकारी
- 32—सेल फोन, कैमरा एवं पेन ड्राइव, फैक्स मशीन, फोटो स्टेट मशीन जैसे उपसाधनों एवं वाह्य साधनों की जानकारी एवं प्रयोग।
- 33—इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस—
- कानूनी प्रविधान तथा अनुमति।
 - विधि एवं कार्यप्रणाली तथा उपयोगिता।
 - मोबाईल फोन की कार्यप्रणाली एवं प्रकार तथा उसके विभिन्न फंगशनों का प्रयोग
 - लैण्ड लाईन (बेसिक) एवं डब्ल्यू0एल0 टेलीफोन की कार्यप्रणाली
 - प्रदेश में कार्यरत मोबाईल कम्पनियों के नाम एवं मुख्यालय तथा फोन नम्बर
 - इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस हेतु विभिन्न उपयोगी उपकरण।
 - इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस—कॉल डाटा रिकार्ड प्राप्त करना एवं विश्लेषण करना तथा संदिग्धों/अपराधियों की स्थिति का पता लगाना।
 - फोन टेपिंग—मोबाईल पर संदिग्धों/अपराधियों को सुनना एवं उनकी उपस्थिति की जानकारी प्राप्त करना।

- मोबाईल फोन एवं नवीनतम उपकरणों का परिचय एवं उनकी कार्यप्रणाली।
- विभिन्न अपराधों/घटनाओं के अनावरण में इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस के प्रभावी प्रयोग का ज्ञान।
- इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस—प्रस्तुतीकरण (प्रशिक्षुओं द्वारा स्वयं तैयार कर प्रस्तुत किया जायेगा)
- प्रशिक्षण की समाप्ति पर अधिकारी अपने दैनिक कार्यों में कम्प्यूटर का प्रयोग, कम्प्यूटर पर केस डायरियों एवं अनुसंधान से संबंधित अभिलेखों को अंकन सहित करने में समर्थ हो सके।
- इसके हैंडस ऑन अभ्यासों को आवश्यक रूप से शामिल किया जाय।

परिशिष्ट—18
पुलिस रेग्युलेशन / नियम / मैनुअल

कालांश—100

अंक—100

- 1—बिहार पुलिस हस्तक नियम
- 2—पुलिस आर्डर
- 3—रैंक और बैज
- 4—वर्दी पहनने के नियम (ड्रेस रेग्युलेशन के अनुसार)
- 5—साज—सज्जा गोला बारूद, वेतन तथा भत्ते यात्रा संबंधी सामान्य नियम
- 6—सेवा निवृत्ति—अधिवर्षता, स्वैच्छिक अनिवार्य, शारीरिक अक्षमता के समय मिलने वाली सुविधायें।
- 7—परिवाद
- 8—पदक एवं अलंकरण के प्रकार
- 9—आवासीय सुविधायें (पदवार)
- 10—चिकित्सीय सुविधा, अवकाश, नियम, अनुमान्य विभिन्न प्रकार के अवकाश
- 11—सेवा निवृति होने पर अनुमान्य विभिन्न लाभ तथा राजकीय कर्मचारी कल्याण योजनायें
- 12—(अ) सेवाकाल में कर्तव्य पालन के दौरान मृत्यु होने पर आश्रितों को मिलने वाले विभिन्न लाभ
 (ब) असाधारण पेंशन के नियम।
- 13—सेवा—अभिलेख—चरित्र पंजिका, सेवा पुस्तिका, व्यक्तिगत पत्रावली
- 14—सामान्य शाखा व उसके अभिलेख,
- 15—लेखा शाखा के कार्य एवं उसके अभिलेख (वेतन पत्र, जी०पी०एफ० बीमा से संबंधित)
- 16—कल्याण निधि, छात्रवृत्ति, साइकिल, मोटरसाइकिल, कम्प्यूटर एवं भवन निर्माण, भविष्य निधि अस्थायी/स्थायी अग्रिम धन प्राप्त करने के नियम इत्यादि।
- 17—थाना प्रबंधन
- 18—पुलिस जवानों के कल्याण कार्यक्रम
- 19—भोजनालय व्यवस्था।

परिशिष्ट-19
शारीरिक प्रशिक्षण

कालांश-150

अंक-125

शारीरिक दक्षता परीक्षा (पी०पी०टी०) (पुरुषों हेतु मानक)

अंको का निर्धारण विषयवस्तु के चार्ट में ही निर्धारित है।

कालांश-60

अंक-50

क्र०	परीक्षण	दक्षता स्तर			अंक			उत्तीर्ण
		9.00 मिनट	10.00 मिनट	11.00 मिनट	10	8	9	
1	2.4 कि०मी० दौड़	9.00 मिनट	10.00 मिनट	11.00 मिनट	10	8	9	50 प्रतिशत
2	10 कि०मी० कॉस कन्ट्री दौड़	42 मिनट	45 मिनट	50 मिनट	10	8	6	उत्तीर्ण/ अनुत्तीर्ण
3	चिन अप्स	10	9	8	10	8	6	तदैव
4	घुटने मोड़कर सिट अप्स	40	38	35	10	8	6	तदैव
5	5 मीटर्स शटल	16	15	14	10	8	6	तदैव

टिप्पणी—

1—शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु पोशाक—पी०टी० ड्रेस

2—प्रतिभागी जो एक इभेन्ट में अनुत्तीर्ण होगा, अन्तिम परीक्षा में उस इभेन्ट में पुनः समिलित होगा।

बैटल फिजिकल एन्ड्योरेन्स टेस्ट (समय पुरुषों हेतु)

कालांश-20

अंक-30

क्रमांक	परीक्षण	दक्षता स्तर			अंक			उत्तीर्ण
1	5 कि०मी० दौड़	25.00 मिनट	27.00 मिनट	30.00 मिनट	10	8	6	50 प्रतिशत
2	50 मीटर तीव्र दौड़	9 सेकेण्ड	10 सेकेण्ड	11 सेकेण्ड	10	8	6	50 प्रतिशत
3	9 मीटर गढ़ढा (9x9 मय 2.5 पानी)	Clear(स्पष्ट पार करना)			4 अंक			उत्तीर्ण/ अनुत्तीर्ण
4	सामानान्तर रस्सा	Clear(स्पष्ट पार करना)			3 अंक			तदैव
5	लम्बवत रस्सा	Clear(स्पष्ट पार करना)			3 अंक			तदैव

टिप्पणी:-

- उपरोक्त वी०पी०ई०टी० बी स्केल से किए जाते हैं (मच्छरदानी या ग्राउण्डशीट एवं बैकपैक) व रायफल सहित
- प्रतिभागी को सभी इभेन्ट पास करने हैं। यदि एक इभेन्ट में अनुत्तीर्ण होता है तो अन्तिम परीक्षा में पुनः समिलित होगा।

शारीरिक दक्षता परीक्षा (पी०पी०टी०) (महिलाओं हेतु मानक)

कालांश—50

अंक—50

क्रमांक	परीक्षण	दक्षता स्तर			अंक			उत्तीर्ण
		12.00 मिनट	13.00 मिनट	14.00 मिनट	10	8	6	
1	2.4 किमी० दौड़							50 प्रतिशत
2	100 मीटर दौड़	16.00 सेकेण्ड	18.00 सेकेण्ड	20.00 सेकेण्ड	10	8	6	उत्तीर्ण/ अनुत्तीर्ण
3	चिन अप्स	6	5	4	10	8	6	तदैव
4	घुटने मोड़कर सिट अप्स	35	30	25	10	8	6	तदैव
5	5 मीटर्स शटल (एक मिनट)	14	13	12	10	8	6	तदैव

टिप्पणी—

1—पी०पी०ई०टी० हेतु इंग्लिश (पी०टी० इंग्लिश)

2—प्रतिभागी यदि एक आइटम में अनुत्तीर्ण है, अन्तिम परीक्षा में उक्त आइटम में सम्मिलित होगा।

3—प्रथम बी०पी०ई०टी० व पी०पी०ई०टी० दो माह की बेसिक ट्रेनिंग के बाद सम्पन्न होगा। इसके बाद प्रतिमाह।

बी०पी०ई०टी० (महिलाओं हेतु समय का मानक)

कालांश—20

अंक—30

क्रमांक	परीक्षण	दक्षता स्तर			अंक			उत्तीर्ण
		31.00 मिनट	33.00 मिनट	35.00 मिनट	10	8	6	
1	5 किमी० दौड़							50 प्रतिशत
2	50 मीटर तेज दौड़	11 सेकेण्ड	12 सेकेण्ड	13 सेकेण्ड	10	8	6	50 प्रतिशत
3	9 फिट गढ़ा पानी सहित	Clear(स्पष्ट पार करना)			4 अंक			उत्तीर्ण/ अनुत्तीर्ण
4	सामानान्तर रस्सा	Clear(स्पष्ट पार करना)			3 अंक			तदैव
5	लम्बवत रस्सा	Clear(स्पष्ट पार करना)			3 अंक			तदैव

टिप्पणी:-

- उपरोक्त बी०पी०ई०टी० बी स्केल से किए जाते हैं (मच्छरदानी या ग्राउण्डशीट व बैकपैक) रायफल सहित।
- प्रतिभागी को सभी इभेन्ट पास करने हैं।

दौड़ 100 मीटर

कालांश—05

अंक—10

पुरुष— 100 मीटर			महिला— 100 मीटर		
क्र0स0	विषय	अंक	क्र0स0	विषय	अंक
1	12 सेकेण्ड में	10	1	14.00 सेकेण्ड में	10
2	12.01 से 12.30 सेकेण्ड में	08	2	14.01 से 14.30 सेकेण्ड में	08
3	12.31 से 13.00 सेकेण्ड में	06	3	14.31 से 15.00 सेकेण्ड में	06
4	13.01 से 13.30 सेकेण्ड में	04	4	15.01 से 15.30 सेकेण्ड में	04
5	13.31 से 14.00 सेकेण्ड में	02	5	15.31 से 16.00 सेकेण्ड में	02
6	14.01 से 14.30 सेकेण्ड में	01	6	16.01 से 16.30 सेकेण्ड में	01

दौड़ 400 मीटर

कालांश—05

अंक—05

पुरुष			महिला		
क्र0 स0	विषय	अंक	क्र0 स0	विषय	अंक
1	01 मिनट तक	05	1	1.10 मिनट तक	05
2	01.01 से अधिक समय से 1.05 मिनट तक	4.50	2	01.11 से अधिक समय से 01.15 मिनट में	4.50
3	01.06 से अधिक समय से 1.10 मिनट तक	04	3	01.16 से अधिक समय से 01.20 मिनट में	04
4	01.11 से अधिक समय से 1.15 मिनट तक	3.50	4	01.21 से अधिक समय से 01.25 मिनट में	3.50
5	01.16 से अधिक समय से 1.20 मिनट तक	03	5	01.26 से अधिक समय से 01.30 मिनट में	03
6	01.21 से अधिक समय से 1.25 मिनट तक	02	6	01.31 से अधिक समय से 01.35 मिनट में	02
7	01.26 से अधिक समय से 1.30 मिनट तक	01	7	01.36 से अधिक समय से 01.40 मिनट में	01

क्रिकेट बॉल थो

कालांश—05

अंक—05

पुरुष			महिला		
क्र0स0	दूरी	अंक	क्र0स0	दूरी	अंक
1	70 मीटर थो	05	1	30 मीटर थो	05
2	60 मीटर थो	04	2	25 मीटर थो	04
3	50 मीटर थो	03	3	20 मीटर थो	03
4	40 मीटर थो	02	4	15 मीटर थो	02
5	35 मीटर थो	01	5	10 मीटर थो	01

दण्ड (पुरुष)

कालांश—05

रस्सी कूद (महिला)

अंक—05

पुरुष			महिला		
क्र0स0	विषय	अंक	क्र0स0	विषय	अंक
1	01 मिनट में 30 दण्ड	05	1	01 मिनट में 100 जम्प	05
2	01 मिनट में 25 दण्ड	04	2	01 मिनट में 90 जम्प	04
3	01 मिनट में 20 दण्ड	03	3	01 मिनट में 80 जम्प	03
4	01 मिनट में 15 दण्ड	02	4	01 मिनट में 70 जम्प	02
5	01 मिनट में 10 दण्ड	01	5	01 मिनट में 50 जम्प	01

पी०टी० एवं ऐपरेटस वर्क

कालांश-६०

अंक-२०

पुरुष		महिला	
विषय	पूर्णांक	विषय	पूर्णांक
पी०टी० एक्सरसाइज	०५	पी०टी० एक्सरसाइज	०५
कमाण्ड लीडर शिप	०५	कमाण्ड लीडर शिप	०५
सामने लुढ़क	०३	सामने लुढ़क	०३
पीछे लुढ़क	०३	पीछे लुढ़क	०३
रस्सा *	०४	रस्सा *	०४
योग	२०	योग	२०

- रस्सा चढ़ने के आधार पर अंको का वर्गीकरण

पुरुष		महिला	
विषय	पूर्णांक	विषय	पूर्णांक
प्रथम श्रेणी चढ़ने पर	०४	—	
द्वितीय श्रेणी चढ़ने पर	०३	द्वितीय श्रेणी चढ़ने पर	०४
तृतीय श्रेणी चढ़ने पर	०२	तृतीय श्रेणी चढ़ने पर	०३

नोट :-

- ❖ सिर, बाजू, धड़, पैर से सम्बन्धित पी०टी० एक्सरसाइज बिहार राज्य के प्रयुक्त पुस्तक के अनुसार करायी जायेगी।
- ❖ लम्बा घोड़ा, चौड़ा घोड़ा एवं वालबार्स का प्रशिक्षण दिया जायेगा किन्तु मूल्यांकन नहीं होगा।

परिशिष्ट-20
पदादि प्रशिक्षण (ड्रिल)

कालांश-150

अंक-125

विषयवार कालांश एवं अंको का निर्धारण

क०सं०	विषय	कालांश	पूर्णांक
1	टर्न आउट	—	10
2	स्कावड ड्रिल एवं कमाण्ड लीडरशिप (शस्त्र सहित)	40	25
3	व्यक्तिगत योग्यता	—	10
4	शस्त्र ड्रिल / रायफल एक्सरसाइज	40	25
5	रेतिक ड्रिल सम्मान गार्ड एवं स्कोर्ड ड्रिल	20	10
6	गार्ड माउटिंग	10	05
7	केन ड्रिल	05	05
8	हर्ष फायर एवं शोक कवायद	05	05
9	ई0ओ0डी	05	10
10	बलवा नियन्त्रण ड्रिल	10	10
11	टीयर स्पॉक	05	05
12	अग्निशमन एवं बचाव ड्रिल	10	05
	योग	150	125

पदादि प्रशिक्षण हेतु विषयवस्तु का विवरण
बिना शस्त्र के ड्रिल (खाली हाथ)

कालांश-40

अंक-25

क०सं०	विषय	कालांश
1	सावधान-विश्राम, आराम से	3
2	मुड़ना, आधा मुड़ना	2
3	सजना	1
4	तीन लाइन में फालइन होना	
5	गिनती करना	1
6	खुली लाईन, निकट लाईन	
7	खड़े खड़े मुड़ना	1
8	बिसर्जन, बाहर निकलना, साइजिंग	1
9	परेड पर फालइन होना कदमी की दूरी, समय	1
10	स्कवाइड में अन्तर से फालइन होना	2
11	तेज चाल में मार्च करना व रुकना	2
12	कदम आगे, कदम पीछे तथा कदम साइड में चलना	1
13	धीरी चाल में चलना व थम	2
14	घूमना, मुड़ना धीरी चाल में	1
15	धीरी चाल में कदम ताल व थम	1
16	तेज चाल व दौड़ चाल में कदम ताल व थम	2
17	तेज चाल व धीरी चाल में कदम बदलना	2
18	दौड़ चाल में चलना, कदम ताल व रुकना	1
19	धीरी चाल, तेज चाल और दौड़ चाल में आना	1
20	धीरी चाल में लाइन में मार्च करना, घूमना	1
21	थम कर दिशा बदलना, चलते चलते दिशा बदलना(धीरी चाल में)	2
22	थम कर दिशा बदलना, चलते चलते दिशा बदलना(तेज चाल में)	1
23	थम कर स्कवाड बनाना, चलते चलते स्कवाड बनाना(धीरी चाल में)	1

24	चलते हुए तेज चाल में स्कवाड बनाना	1
25	सिंगल फाइल में मार्च करना व तीन लाइन बनाना	1
26	तीन लाइन से दो लाइन बनाना	1
27	दो लाइन से तीन लाइन बनाना	1
28	धीरी चाल में मार्च करना व मुड़ना	1
29	तेज चाल में चलना व मुड़ना	1
30	तेज चाल में घुमना व मुड़ना	1
31	थम कर सेल्यूट, पत्री के साथ सेल्यूट	1
32	दाहिने व बाएं का सेल्यूट	1
32	दाहिने देख, बाएं देख बिना टोपी व सादे वस्त्र में	1
योग		40

शस्त्र सहित ड्रिल

कालांश—40

अंक—25

कालांश	विषय	कालांश
1	बाजू शस्त्र से कन्धे शस्त्र, कन्धे शस्त्र से बाजू शस्त्र (SLR में बाजू शस्त्र से बगल शस्त्र, बगल शस्त्र से बाजू शस्त्र)	1
2	कन्धे शस्त्र से सलामी शस्त्र, सलामी शस्त्र से कन्धे शस्त्र (SLR में बगल शस्त्र से सलामी शस्त्र, सलामी शस्त्र से बगल शस्त्र)	1
3	भूमी शस्त्र से उठा शस्त्र	1
4	कन्धे शस्त्र से बाये शस्त्र, बाएं शस्त्र से कन्धे शस्त्र, बाजू शस्त्र से बाएं शस्त्र, बाँहें शस्त्र से बाजू शस्त्र (SLR में बगल शस्त्र से बाँहें शस्त्र एवं बाँहें शस्त्र से बगल शस्त्र बाजू शस्त्र से बाएं शस्त्र, बाएं शस्त्र से बाजू शस्त्र)	1
5	निरीक्षण को बाएं शस्त्र, बोट चला (SLR में बोल्ट नहीं चलाना है)	1
6	बाएं शस्त्र से जॉच शस्त्र, बोल्ट चला, जॉच शस्त्र से बाएं शस्त्र, जॉच शस्त्र से बाजू शस्त्र (SLR में बोल्ट नहीं चलाना है)	1
7	बाजू शस्त्र से तौल शस्त्र, तौल शस्त्र से बाजू शस्त्र, कन्धे शस्त्र से तौल शस्त्र, तौल शस्त्र से कन्धे शस्त्र (SLR में बाजू शस्त्र से तौल शस्त्र, तौल शस्त्र से बाजू शस्त्र, बगल शस्त्र से तौल शस्त्र, तौल शस्त्र से बगल शस्त्र)	1
8	कन्धे शस्त्र से सम्भाल शस्त्र, सम्भाल शस्त्र से कन्धे शस्त्र (SLR में बगल शस्त्र से सम्भाल शस्त्र, सम्भाल शस्त्र से बगल शस्त्र)	1
9	बाजू शस्त्र से सम्भाल शस्त्र, सम्भाल शस्त्र से कन्धे शस्त्र (SLR में बाजू शस्त्र से सम्भाल शस्त्र, सम्भाल शस्त्र से बगल शस्त्र)	1
10	कन्धे शस्त्र से बदल शस्त्र, तौल शस्त्र से बदल शस्त्र (SLR में बगल शस्त्र से बदल शस्त्र, तौल शस्त्र से बदल शस्त्र)	1
11	सम्भाल शस्त्र से बदल शस्त्र	1
12	स्लिंग कसना व स्लिंग ढीली करना	1
13	कन्धे शस्त्र से तान शस्त्र, तान शस्त्र से कन्धे शस्त्र (SLR में बगल शस्त्र से तान शस्त्र, तान शस्त्र से बगल शस्त्र)	1
14	बाजू शस्त्र से तान शस्त्र, तान शस्त्र से बाजू शस्त्र	1
15	तान शस्त्र से, कन्धे शस्त्र से तथा बाजू शस्त्र से ऊचा बायें शस्त्र (SLR में तान शस्त्र, से बगल शस्त्र से तथा बाजू शस्त्र से ऊचा बायें शस्त्र)	1
16	लटका शस्त्र, बगल शस्त्र	1
17	सावधान, विश्राम आराम से रायफल के साथ	1
18	मुड़ना व आधा मुड़ना रायफल के साथ	1
19	बाजू शस्त्र व कन्धे शस्त्र की दशा में सजना (SLR में बाजू शस्त्र व बगल शस्त्र की दशा में सजना)	1
20	सजना, बाये सज, दाहिने सज, मध्य सज	1
21	खड़े हुए बट सेल्यूट, सामने का सेल्यूट, चलते चलते सेल्यूट, पत्री के साथ सेल्यूट	1
22	रायफल के साथ चलते हुए दाहिने व बाएं का सेल्यूट	1
23	रायफल के साथ तेज चाल धीरी चाल में मार्च	1
24	धीरी चाल व तेज चाल में मुड़ना	1
25	रायफल के साथ मार्चिंग, धीरी चाल व तेज चाल में थम बनाना	1
26	धीरी चाल व तेज चाल में रायफल के साथ मुड़ना व घूमना	1
27	रायफल के साथ धीरी चाल व तेज चाल मार्च में छोटे व लम्बे कदम से मार्च करना	1
28	सावधान लाइन तोड़, लाइन बन	1
29	थम कर दिशा बदलना स्कवाड बनाना (धीरी चाल व तेज चाल में)	1

30	धीरी चाल, तेज चाल व दौड़ चाल में खुलना	1
31	शस्त्र के साथ तेज चाल में लम्बा कदम, छोटा कदम	1
32	स्कवाड का मार्च करना, सिंगल फाइल बनाना व तीनों तीन बनाना	1
33	लाइन फारमेशन से फाइल में रायफल सहित खुलना तीनों तीन बनाना व लाइन फारमेशन बनाना	1
34	तीनों तीन में फाइल में रायफल के साथ खुलना, तीनों तीन बनाना व लाइन बनाना	1
35	शस्त्र के साथ स्कवाड ड्रिल एवं कम्पनी ड्रिल	6
	योग	40

रैतिक ड्रिल, सम्मान गार्ड एवं सोर्ड ड्रिल

कालांश-20

अंक-10

विषय	कालांश
तलवार व उसके भागों का परिचय	01
सावधान निकाल किच व वापस किच	01
सावधान से विश्राम व वापस	02
तेज चलना, धीर चलना व रुकना	02
खड़े खड़े सैल्यूट	02
चलते चलते सैल्यूट	02
रैतिक परेड में सम्मान गार्ड का ज्ञान व कमाण्ड करने का अभ्यास	10

गार्ड माउंटिंग

कालांश-10

अंक-05

नोट :- पुलिस ड्रिल मैनुअल के अनुसार प्रशिक्षण दिया जायेगा।

केन ड्रिल

कालांश-05

अंक-05

नोट :- इसका प्रशिक्षण पुलिस ड्रिल मैनुअल के अनुसार दिया जायेगा।

हर्ष फायर एवं शोक कवायद

कालांश-05

अंक-05

नोट :- इसका प्रशिक्षण पुस्तिका के अनुसार दिया जायेगा।

ई0ओ0डी0

कालांश-05

अंक-10

नोट :- पुलिस ड्रिल मैनुअल के अनुसार प्रशिक्षण दिया जायेगा।

बलवा नियंत्रण ड्रिल

कालांश-10

अंक-10

बलवा नियन्त्रण ड्रिल पर व्याख्यान व प्रदर्शन
नियंत्रण पार्टियों का बनाना व तैयारी
बलवा नियंत्रण ड्रिल
कार्यवाही चारों तरफ, दाहिने, बांए व पीछे
विभिन्न फार्मेशन व वाहन से उतने की ड्रिल
व्याख्यान / प्रदर्शन, रैपिड ऐक्शन फॉस द्वारा
भीड़ नियन्त्रण उपकरण
आच्यास
प्रदर्शन

नोट :- इसका प्रशिक्षण प्रकाशित पुस्तिका के अनुसार दिया जायेगा।

टीयर स्मोक

कालांश-05

अंक-05

विषय	कालांश
परिचय, इतिहास, विशिष्ट गुण, कारतूसों के प्रकार व रेसप्रिटर	01
सेल्स व ग्रिनेड्स की संरचना, म्यूनीशन्स को रखना	01
टीयर स्मोक का टैक्टिकल(युविलपूर्ण) प्रयोग व प्राथमिक उपचार	01
गनड्रिल व ग्रिनेड फेकने का ड्रिल	01
म्यूनीशन्स का फेकना व फायर करना	01

नोट :- इसका प्रशिक्षण प्रकाशित पुस्तिका के अनुसार दिया जायेगा।

अग्निशमन एवं बचाव ड्रिल

कालांश-10

अंक-10

नोट :- इसका प्रशिक्षण अग्निशमन विभाग के अधिकारी / कर्मचारीगण को बुलाकर दिलाया जायेगा।

परिशिष्ट-21
शस्त्र प्रशिक्षण

कालांश-150

अंक-125

परीक्षा हेतु अंकों का निर्धारण
वैपन्स थोरी

कालांश-105

अंक-50

क्र०सं०	विषय	कालांश	पूर्णांक
1	.303" रायफल / 5.56 एमएम० इन्सास	15	5
2	7.62 एमएम एसएलआर	15	5
3	9 एमएम कार्बाइन	10	5
4	एके-47, यू०बी०जी०एल०	10	5
5	9 एमएम पिस्टल / ग्लोक पिस्टल	10	5
6	.38" रिवाल्वर	10	5
7	एलएमजी	10	5
8	जी०एफ० रायफल	10	5
9	36 एच०ई० ग्रिनेड	10	5
10	पी०एम०एफ० एवं वी०एल०पी०	05	5
योग		105	50

नोट :- इसे राज्य प्रशिक्षण से प्रकाशित पुस्तक से पढ़ाया जायेगा।

3. शस्त्र फायरिंग

कालांश-45

अंक-70

क्र०सं०	शस्त्र	अंक
1.	.303" रायफल (ग्रुपिंग, एप्लीकेशन, मूविंग, स्नैप, रैपिड फायर)	10
2	इन्सास रायफल (ग्रुपिंग, एप्लीकेशन, मूविंग, स्नैप, रैपिड फायर)	10
3	7.62 एमएम एसएलआर (ग्रुपिंग, एप्लीकेशन, मूविंग, स्नैप, रैपिड फायर)	10
4	9 एमएम कार्बाइन	10
5	एके-47 (ग्रुपिंग, एप्लीकेशन, मूविंग, स्नैप, रैपिड फायर)	10
6	9 एमएम पिस्टल फायर	05
7	.38" रिवाल्वर फायर	05
8	रबर बुलेट फायरिंग	05
9	पी०एम०एफ०, वी०एल०पी०	05
10	डमी ग्रिनेड थ्रो	05
योग		75

.303" रायफल / 5.56 एमएम इन्सास

कालांश-15

अंक-05

क्र०सं०	विषय	कालांश
1	परिचय, गुण, पहचान व प्रकार	02
2	खोलना, पुर्जों के नाम, जोड़ना	02
3	सिस्त लगाना	02
4	सफाई व रख रखाव	01
5	भरना व खाली करना	01
6	लेट कर पोजीशन लेना व शस्त्र पकड़ना	01
7	शिस्त लेना प्रथम-दूरी व फिगर टारगेट	02
8	ट्रिगर नियन्त्रण	02
9	फायरिंग पोजीशन व एक गोली फायर करना	02

7.62 एम०एम० (एस०एल०आर०)

कालांश—15

अंक—05

क्र०सं०	विषय	कालांश
1	परिचय	02
2	खोलना, पुर्जो के नाम व जोड़ना	02
3	सफाई व रख रखाव	02
4	भरना व खाली करना, पकड़ना, लेटकर पोजिशन लेना साइट निर्धारण—जाने की दशाएं	02
5	शिस्त लेना, एक गोली फायर करना, मेकेनिजम व रुकावटें	05
6	साइट परिवर्तन, मूविंग टारगेट पर शिस्त लेना	02

9 एम०एम० कारबाइन

कालांश—10

अंक—05

क्र०सं०	विषय	कालांश
1	परिचय, खोलना व जोड़ना	02
2	काबाईन व स्टेन में अंतर	01
3	रख रखाव व सफाई	02
4	भरना व खाली करना	02
5	ले जाने की दशाएं, शिस्त लेना— फायर पोजिशन	01
6	रुकावटें व तुरन्त कार्यवाही	02

ए०के०—47

कालांश—10

अंक—05

क्र०सं०	विषय	कालांश
1	परिचय, खोलना सफाई करना व जोड़ना	03
2	भरना, खाली करना, फायरिंग पोजीशन, ले जाने की दशाएं, फायरिंग	03
3	फायर, रुकावटें व त्वरित कार्यवाही	04

9 एम०एम० पिस्टल— (ब्राउनिंग एवं ग्लॉक)

कालांश—10

अंक—05

क्र०सं०	विषय	कालांश
1	9 एम०एम० पिस्टल— परिचय, पिस्टल का निरीक्षण, सुरक्षा एहतियाती उपय खोलना, जोड़ना, पिस्टल निकालना व वापस रखना	03
2	देखभाल एवं सफाई, भरना एवं खाली करना, फायरिंग पोजीशन, मेकसेफ की कार्यवाही, एक गोली फायर करना, रुकावटे एवं त्वरित कार्यवाही	02
3	9 एम०एम० (ग्लॉक पिस्टल) परिचय, खोलना, साफ करना, जोड़ना, कार्यवाही करना, भरना व खाली करना	03
4	सीधी तैयारी की दशा, शस्त्र लेना, फायरिंग, रुकावटें व तुरन्त दूर करना, भिन्न भिन्न दशा से फायर	02

.38" रिवाल्वर

कालांश—10

अंक—05

क्र०सं०	विषय	कालांश
1	परिचय, रिवाल्वर का निरीक्षण, रिवाल्वर निकालना एवं वापस रखना	05
2	देखभाल एवं सफाई, भरना एवं खाली करना, फायरिंग पोजीशन में फायरिंग करना	05

एलएमजी

कालांश-10

अंक-05

क्र०सं०	विषय	कालांश
1	परिचय	01
2	खोलना, पुर्जो के नाम व जोड़ना	02
3	सफाई व रख रखाव	01
4	भरना व खाली करना, पकड़ना, शिस्त लेना, साइट निर्धारण—ले जाने की	02
5	फायर करना, रुकावेट व तुरन्त कार्यवाही	02
6	साइट परिवर्तन, शिश्त का बिन्दु, चलते टारगेट पर शिश्त, हवा का प्रभाव	02

जी०एफ० रायफल / ५१ एमएम मोर्टार

कालांश-10

अंक-05

क्र०सं०	विषय	कालांश
1	परिचय, गुण, पहचान व प्रकार	01
2	पुर्जो के नाम खोलना व जोड़ना	01
3	शिस्त लगाना	01
4	सफाई व रख रखाव	01
5	भरना व खाली करना	02
6	पोजीशन लेना व शस्त्र पकड़ना	01
7	शिश्त लेना—दूरी व टारगेट का निर्धारण	01
8	ट्रिगर नियन्त्रण	01
9	फायरिंग पोजीशन व फायर करना	01

एच०ई० ३६ ग्रिनेड

कालांश-10

अंक-05

क्र०सं०	विषय	कालांश
1	परिचय	01
2	खोलना, पुर्जो के नाम व जोड़ना	01
3	प्राइम करना	02
4	थ्रो करने की पोजिशन, थ्रो करना	02
5	डेमोलिशन सेट की जानकारी	02
6	ब्लाइंड ग्रिनेड को डैमोलिश करना	02

पी०एम०एफ० एव वी०एल०पी०

कालांश-05

अंक-05

क्र०सं०	विषय	कालांश
1	परिचय	01
2	खोलना, पुर्जो के नाम व जोड़ना	01
3	भरना व खाली करना	01
4	फायरिंग पोजीशन, थ्रो करना	01
5	फायर करना	01

- नोट— शस्त्र प्रशिक्षण में व्यवहारिक मामलों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये न कि तकनीकी विवरणों प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रशिक्षु को शस्त्र हैंडलिंग व सही निशाने में दक्ष करना है।

निम्नलिखित सत्र रात्रि फायरिंग में जोड़े जाएः—

रात्रि शस्त्र हैंडलिंग	चार रात्रि
रात्रि फायरिंग	चार रात्रि

परिशिष्ट-22

फील्ड काफट एण्ड टैक्टिस, मैप रीडिंग एवं रुट मार्च

कालांश-150

अंक-100

अंकों एवं कालांशों का निर्धारण एवं विषयवस्तु

फील्ड काफट एण्ड टैक्टिस

कालांश-80

अंक-80

विषय	कालांश	अंक
फील्ड काफट के टैक्टिकल शब्दों का ज्ञान/परिभाषायें	02	02
केमोफ्लाई एवं कल्सीलमेंट	02	02
भूमि के प्रकार एवं भूमि का वर्णन	02	03
आङ्गो के प्रकार	02	03
देखभाल के तरीके	02	03
दूसी निर्धारित करने/अनुमान लगाने के तरीके	02	03
चीजें कैसे दिखाई पड़ती हैं	02	03
फील्ड संकेत	02	05
सैक्षण संरचना	02	03
विभन्न टारगेटों की पहचान एवं समझ	02	03
सैण्ड मॉडल पर ब्रीफिंग या निर्देश	04	05
कैप्प स्थापित करना	04	03
घात एवं प्रतिघात	02	05
काम्बिंग अभियान	03	05
आड़ एवं फायर	02	04
निगरानी	02	03
नक्सलवादियों द्वारा अपनाई गयी टैक्टिस की जानकारी एवं प्रति उपाय करना (राज्य अपनी आवश्यकता के अनुरूप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं)।	05	05
कार्डन एवं खोज निकालना/ढूळना	10	05
रोड ब्लाक एवं वाहनों व व्यक्तियों को चेक करना (व्यवहारिक अभ्यास)	10	05
कमरा/मकान में घुसना/हस्तक्षेप	10	05
मैप रीडिंग एवं जीपीएस के प्रयोग सहित नेवीगेशन	08	05
योग	80	80

धेरा व तलाशी (धनी आबादी/तंग गलियों में) एम्बुश, छुपाव के स्थान पर दबिश, कक्ष में प्रवेश आदि विषयों के प्रदर्शन (डेमो) आयोजित किए जाये। इन विषयों के बारे में सैण्ड मॉडल अभ्यास भी आयोजित किए जाय।

मैप रीडिंग

कालांश-30

अंक-10

विषय
मानचित्र का परिचय तथा मैप रीडिंग का उद्देश्य स्केल
रुद्धिवादी चिन्ह
कॉन्टूर्स की जानकारी
ग्रिड संदर्भ
दिशाएँ (दिन व रात्रि)
प्रिजमेटिक कम्पास
मानचित्र सेट करना एवं अपनी पोजीशन खोजना
परिमाणाएँ
सैण्ड मॉडल का परिचय / ब्रीफिंग
जी0पी0एस0 का प्रयोग

रुट मार्च

कालांश-40

अंक-10

विषय
रात्रि में देखने के उपकरणों का परिचय व कम्पास (फलकनुमा) सहित नाइट मार्च
05 किमी (रायफल सहित) आब्जर्वेशन स्किल टेस्ट, छद्म व छुपाव का प्रदर्शन
08 किमी (रायफल व भरे हुये हैवर सैक सहित) फील्ड काफट व टैकिट्स की एक्सरसाइज व दूरी का अनुमान लगाने के अभ्यास सहित
10 किमी (रायफल सहित, दूरी का अनुमान लगाने का अभ्यास व मेमोरी स्केचिंग
12 किमी (रायफल सहित, फील्ड काफट व टैकिट्स अभ्यास (नाइट रुट मार्च व पेट्रोलिंग)
15 किमी (रायफल सहित, फील्ड काफट व टैकिट्स अभ्यास- सेक्षन चांस एन्काउन्टर व कम्बिंग
20 किमी (रायफल सहित, फील्ड काफट टैकिट्स अभ्यास और युद्ध संचारण अभ्यास

- रात्रि प्रशिक्षण शनिवार की रात्रि अथवा अवकाश से पूर्व की रात्रि में कराया जा सकता है। फील्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह विषय जोड़ा गया है।
- देश की ताजा सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए फील्ड काफट व टैकिट्स के प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया गया है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज हेतु एक उचित डेमो एरिया का प्रयोग किया जाना चाहिए।

परिशिष्ट-23निशस्त्र लड़ाई (यूएसी)

कालांश-40

अंक-30

1. विभिन्न हमले— पंच, कोहनी, स्ट्राईक्स, घुटने स्ट्राइक्स और लात
2. भोक से मुक्ति (खडे दशा में)
3. भोक से मुक्ति (खडे दशा में—पीछे की तरफ धक्का देने पर)
4. भोक से मुक्ति (खडे दशा में—आगे की तरफ धक्का देने पर)
5. गर्दन पर रखे चाकू की धमकी से बचाव (अन्तर से) With Variation
6. साइड से चाकू की धमकी से बचाव (हमलावर एक हाथ पकड़े हैं)
7. सिर पर चाकू से हमले से बचाव
8. Oriental चाकू के हमले से बचाव
9. सामने से पिस्टल की धमकी से बचाव
10. पीछे से पिस्टल की धमकी से बचाव
11. आगे की तरफ फाल (Break Fall Forward)
12. पीछे की तरफ फाल (Break Fall Backward)
13. आगे लुढ़क
14. सामने से ए0 के0 रायफल धारण करने की शक्ति
15. पीछे से ए0 के0 रायफल से बचाव

परिशिष्ट-24योगासन

कालांश-40

अंक-50

अंक प्रदत्त किये जाने का चार्ट

विषय	अंक
सर्वांग आसन	10
भुजंग आसन	10
सूर्य नमस्कार	10
पादस्त आसन	10
पसन्द का कोई भी आसन	05
पसन्द का कोई भी आसन	05
योग	50

शिथिलीकरण व्यायाम

धीरे-धीरे चलना
आगे पीछे झुकना
कमर को मोडना
बैक स्ट्रेच या टाइगर स्ट्रेच
शव आसन
अग्निसार और नौली

आसन

सूर्य नमस्कार
खड़े दशा में
अर्धकाति चकासन (दोनों तरफ)
अर्ध चकासन
पादहस्त आसन
परिव्रत त्रिकोण आसन (दोनों तरफ)

बैठकर

पश्चिमातानासन
सुत्प वज्रासन
उस्त्रासन
याग मुद्रा
सशंकासन

अर्धमन्त्रेन्द्रासन (दोनों तरफ)

मकासन

प्रोन

भुजंगासन

सलभासन

धनुरासन

ऊर्ध्वमुख / ढालुवॉ (Supire)

सर्वांगासन

विप्राताकारणी

मत्सयासन

हल आसन

शव आसन

प्राणायाम

कपालभाति
नाड़ी शुद्धि
ओमकार
शान्ति

परिशिष्ट-25
विस्फोटकों का ज्ञान

कालांश—30

अंक—25

विषय	कालांश
विस्फोटकों का परिचय एवं विस्फोटक का स्वभाव	02
विस्फोटक के प्रकार व पहचान (लेक्चर व डेमो)	02
डेटोनेटर, इसके प्रकार व पहचान (लेक्चर व डेमो)	03
विस्फोटक की पहचान करने में सावधानी व सुरक्षा	03
देशी बम्बों का परिचय और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस (लेक्चर व डेमो)	02
कमाण्ड मेकानिजम (तार, रिमोट कन्ट्रोल, टाइमर, प्रेशर लाइट आदि) लेक्चर व डेमो	03
भूमि सुरंगों का परिचय	05
बम्बों की खोज व डिपोजल से पूर्व की कार्यवाही	05
विस्फोटक के बाद का परीक्षण—भौतिक साक्ष्य का विधि विज्ञान के दृष्टिकोण से एकत्रीकरण	05

परिशिष्ट-26ड्राइविंग

कालांश-60

अंक-50

अ. यातयात नियन्त्रण ड्रिल

कालांश-20

अंक-10

क्र.	विषय	अंक
1	ड्राइवर के संकेत	04
2	ट्रैफिक संकेत (हाथ द्वारा)	04
3	ट्रैफिक राडार	02

ब. मोटर ड्राइविंग (मोटरसाइकिल एवं जीप / जिप्सी)

कालांश-40

अंक-40

क्र.	विषय	अंक
1	ड्राइविंग फारवर्ड	10
2	ड्राइविंग रिवर्स	10
3	दिये गये आकार में रिवर्स व फारवर्ड ड्राइविंग	10
4	एम0टी0 थ्योरी	10

नोट – 1. प्रयोगात्मक प्रशिक्षण पर अधिक महत्व दिया जायेगा।

परिशिष्ट-27

तैराकी

कालांश-40

अंक-20

परीक्षा हेतु अंकों का निर्धारण

मिनट सेकेण्ड के अन्दर		पूर्णांक-20
प्रति 100 मीटर फ्रीस्टाइल	यदि 50 मीटर फ्रीस्टाइल	
<= 1.41	<= 0.35	
<= 2.00	<= 0.45	
<= 2.30	<= 1.00	
<= 3.10	<= 1.20	
<= 3.50	<= 1.40	
<= 4.30	<= 2.00	
<= 5.30	<= 2.30	
<= 6.30	<= 3.00	
अपना समय	अपना समय	

- ❖ परिचय और गोता लगाना और सांस लेना, गोते के समय सांस लेना व निकालना
- ❖ सांस लेना और पैर की कार्यवाही और सांस लेना, पानी पर तैरना व धीरे-धीरे बहना
- ❖ सांस के साथ हाथ व पैर की गतिविधियाँ
- ❖ ट्यूब के साथ हल्की फ्री स्टाइल तैराकी
- ❖ ट्यूब में कम हवा रखकर धीरे फ्री स्टाइल तैराकी
- ❖ बिना ट्यूब के फ्री स्टाइल तैराकी सहायता के साथ
- ❖ फ्री स्टाइल तैराकी पैर की हरकत के साथ
- ❖ मदद के साथ चौडाई में फ्री स्टाइल तैरना
- ❖ चौडाई में फ्री स्टाइल तैरना अभ्यास मुड़ने के साथ
- ❖ लम्बाई धीरे-धीरे तैरने का अभ्यास ट्यूब के साथ और कम हवा की ट्यूब के साथ।
- ❖ लम्बाई में तैराकी का अभ्यास आराम के साथ
- ❖ लम्बाई में तैरना पैर की हरकत के साथ
- ❖ लम्बाई में तैराकी अभ्यास स्टार्ट के साथ
- ❖ लम्बाई में तैराकी अभ्यास 30 मीटर बिना रुके
- ❖ लम्बाई में तैराकी अभ्यास 30 मीटर बिना रुके
- ❖ लम्बाई में तैराकी अभ्यास 30 मीटर बिना रुके
- ❖ 2 मिनट से कम समय में 50 मीटर तैराकी आन्तरिक बल बढ़ाने हेतु।

परिशिष्ट-28

घुड़सवारी

कालांश-50

अंक-25

1. काठी लगाना खोलना जोड़ना
2. घोड़े के साथ सावधान, विश्राम
3. रकाब सहित व रकाब रहित घोड़े पर सवार होना व उतरना
4. घोड़े पर सवार होना व आगे बढ़ना
5. दुलकी चाल बिना रेजिंग, सही सहायता का इस्तेमाल
6. रकाब का फिटिंग, घोड़े पर चढ़ना उतरना व दुलकी (बिना सहायता)
7. रकाब सहित व रहित घोड़े पर चढ़ना, दुलका, मुड़ना, घेरे में सीधे में सवारी
8. जम्प (कूदों) से परिचय व अभ्यास
9. कास कन्ट्री
10. परीक्षा अभ्यास

घुड़सवारी की अन्तिम परीक्षा में अंक देने का तरीका/मानक

क्र.सं.	गतिविधि	साधक	आवश्यकताएँ	अंक देना	अंक
1.	स्थिति, सहायता, सीट टर्न आउट-काठी में सवार की पोजीशन, सहायता घोड़े को कन्ट्रोल करने में हाथों का प्रभावी प्रयोग।				
2.	घोड़े को चलाने के लिए पैर, सीट-स्वतंत्र सीट और सीट का प्रयोग				
3.	सड़क व पगड़ंडी	कास कन्ट्री टाइप क्षेत्र 600 मी0 लम्बा जिसमें लकड़ी की बल्ली वाले 2 जम्प हों समय 3 मीनट (प्रत्येक 10 सेकेण्ड अतिरिक्त समय लेने पर 1/2 अंक की पेनल्टी	1. दुलकी चाल में घोड़े के कदों की लय ताल 2. घोड़े व सवार का रोजिंग में तालमेल 3. स्वतंत्र आगे बढ़ने व नियंत्रण	सड़क व ट्रैक (समय के आधार पर (कदम व लयताल आदि) बल्ली जम्प (जम्प कराते समय सवार व घोड़े का तालमेल)	
4.	कदम, दुलकी व सरपट (घड़ी के अनुरूप व घड़ी के विपरित)	1. विभन्न चालों से दिये हुए बिन्दुओं पर चोट करना (अ) पीले झण्डे से कदम (ब) हरे झण्डे से दुलकी (स) सरपट बांए लाल झण्डे से 1. नीले व हरे झण्डे के बीच X स्थान पर सरपट चाल में पैर बदलना दिखाना।	1. सरपट, दुलकी व कदम के लिए सहायता। सीट व पोजीशन सवार की सभी तीन चालों में (पैर की मदद, हाथों की दशा, राइडर की सीट, पकड़ व संतुलन) 2. एक चाल से दूसरी चाल में बदलाव, नियंत्रण व विश्वास।		
5.	ब्रश जम्प	लगातार एक के बाद एक (कुल तीन) ब्रश, जम्प जो पार करना, सही चाल पर पहुँचना, आखिरी जम्प के बाद रूकना।	पहुँच और सहायता जम्प्स के लिए। आरम्भ करते समय सवार की पोजीशन	(जम्प के समय पोजीशन व नियंत्रण जो दिखाया गया के 3 अंक)	
6.	अश्वशाला प्रबंधन व मौखिक प्रश्न				

नोट- किसी भी चरण में सवार के गिरने पर पेनल्टी (-1) और सवार को आरम्भ स्थान से पुनः अवसर दिया जायेगा। सईस डालने पर हिस्से में आये निर्धारित घोड़े पर सवारी न करने पर 2 अंक काटे जायेंगे।

संदर्भ -

- ❖ घुड़सवारी पर ट्रेनिंग फ़िल्म
- ❖ घुड़सवारी व अश्वशाला प्रबंधन पर पुस्तक

परिशिष्ट-29

बाधा कोर्स (बी०ओ०ए०सी०)

कालांश-40

अंक-25

अंक	पुरुष प्रशिक्षु 10 बाधाएं दीवार सहित बिना किसी सहयोग *	महिला प्रशिक्षु 10 बाधाएं दीवार सहित सहयोग के साथ*
	< = 50 सेकेण्ड	< = 60 सेकेण्ड
	< = 55 सेकेण्ड	< = 65 सेकेण्ड
	< = 60 सेकेण्ड	< = 75 सेकेण्ड
	< = 65 सेकेण्ड	< = 80 सेकेण्ड
	< = 75 सेकेण्ड	< = 90 सेकेण्ड
	< = 75 सेकेण्ड	< = 110 सेकेण्ड
	< = 105 सेकेण्ड	< = 120 सेकेण्ड
	> = 105 सेकेण्ड	> = 120 सेकेण्ड

*यदि बहुत अधिक सहयोग लिया गया है, परीक्षक 0-1 अंक से दण्डित करेंगे।

12. खेलकूद-जिम

कालांश-100

अंक-शून्य

नोट :- अधिकांशतः वह खेल खिलाये जायेगें जिसमें टीम में अधिक से अधिक प्रशिक्षु खेल सके। जैसे फुटबाल, बास्केटबाल, हैण्डबाल, बालीबाल एवं किकेट आदि।